Seventeenth Series, Vol. XXV No.04

Tuesday, July 25, 2023
Sravana 03, 1945 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Twelfth Session

(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XXV contains Nos.1 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Bishan Kumar

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Meenakshi Rawat

Anil Kumar Chopra

Editor

© 2023 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XXV, Twelfth Session, 2023/1945 (Saka)
No. 04, Tuesday, July 25, 2023/Sravana 03, 1945 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWER TO QUESTION	
*Starred Question No. 61	10-11
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 62 to 80	12-108
Unstarred Question Nos. 691 to 920	109-804

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 805-814

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE
130th to 141st Reports 815-817

STANDING COMMITTEE ON ENERGY
36th to 38th Reports 818

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS
22nd Report 819

STANDING COMMITTEE ON LABOUR, TEXTILES AND SKILL DEVELOPMENT
STATEMENTS 820

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 351st Report of the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Demands for Grants (2023-24) pertaining to the Ministry of Youth Affairs and Sports
Shri Nisith Pramanik 821

ELECTION TO COMMITTEE
Committee on Official Language 822-823

MOTION RE: FORTY-SECOND REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 824

MATTERS UNDER RULE 377 825-848

(i) Need to set up Electric Loco Periodical Overhauling Workshop in Kalahandi Parliamentary Constituency
Shri Basanta Kumar Panda 825-826

(ii) Regarding educational, social and economic upliftment of nomadic and semi-nomadic tribes in the country
Shri Ramakant Bhargava 826

(iii) Need to correct the spelling of 'Dhangadh' as 'Dhangar' in the OBC list in Maharashtra

Shri Ranjeetsingh Naik Nimbalkar 827

(iv) Need to set up Mobile Training Centres for farmers in every panchayat in Maharajganj Parliamentary Constituency

Shri Janardan Singh Sigriwal 828

(v) Need to regulate the use of Artificial Intelligence (AI) in educational institutions in the country

Shri P. P. Chaudhary 829

(vi) Regarding setting up of three Kendriya Vidyalayas at Jarmundi (Dumka), Deoghar and Mahagama (Godda) in the Santhal Pargana region of Jharkhand

Dr. Nishikant Dubey 830

(vii) Need to fill up the trenches dug up near the forest areas in Singhbhum district, Jharkhand and provide compensation to the family members of people died due to elephant attacks

Shri Bidyut Baran Mahato 831

(viii) Need to enhance the amount of pension under EPS – 95

Prof. Rita Bahuguna Joshi 832

(ix) Need to provide treatment of infertility among women in government hospitals in Maharashtra and also set IVF Centres in hospitals in the state

Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya Swamiji 833

(x) Regarding repair of Muzaffarpur- Janakpur- Orai road and construction of a bridge over Bagmati River in Bihar

Shri Ajay Nishad 834

(xi) Regarding flood control measures in Delhi and payment of compensation to people affected due to recent floods in Delhi

Shri Manoj Tiwari 835

(xii) Need to provide stoppage of trains at various railway stations in Salempur Parliamentary Constituency

Shri Ravindra Kushawaha 836

(xiii) Regarding present status of establishment of 100-bedded ESIC Hospital in different districts of Haryana

Shri Nayab Singh Saini 837

(xiv) Regarding completion of Hejjala-Chamarajanagar new broad gauge railway line

Shri D.K. Suresh 838

(xv) Need to review the decision to close Railway Printing Press at Royapuram, Chennai

Dr. Kalanidhi Veeraswamy 839

(xvi) Need to allocate special funds for improving the infrastructure and developing adventure tourism in Dharmapuri Parliamentary Constituency

Dr. DNV Senthilkumar S. 840

(xvii) Need to take steps to maintain law and order and communal harmony in Manipur

Prof. Sougata Ray 841

(xviii) Need to construct a subway at Dhulian Ganga Railway Station at Murshidabad

Shri Khalilur Rahaman 842

(xix) Regarding treatment of Anaemia among women

Shrimati Vanga Geetha Viswanath 843

(xx) Need to include villages of Ratnagiri – Sindhudurg under 4G mobile coverage

Shri Vinayak Bhaurao Raut 844

(xxi) Regarding East coast Rail Project in Tamil Nadu

Shri M. Selvaraj 845

(xxii) Need to restore the stoppages of various trains in Kollam Parliamentary Constituency

Shri N.K. Premachandran 846

(xxiii) Need to include persons belonging to Gond community in Uttar Pradesh in the list of scheduled tribes

Shri Naba Kumar Sarania 847

(xxiv) Need to implement the reports on Autism Spectrum Disorder and Cerebral Palsy

Shri Sunil Kumar Pintu 848

BIOLOGICAL DIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2022

As Reported By Joint Committee 849-872

Motion to Consider 849

Shri Bhupender Yadav 849, 859-861

Dr. Sanjay Jaiswal 850-852

Shrimati Aparajita Sarangi 854-857

Shrimati Vanga Geetha Viswanath	857-858
Shri Malook Nagar	859
Clauses 2 to 43 and 1	861-872
Motion to Pass	872
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE	
66th to 68th Reports	853
MULTI-STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2022	875-895
As Reported by Joint Committee	
Motion to Consider	875
Shri Amit Shah	875, 884-893
Shri Manoj Kotak	875-878
Shri Lavu Srikrishna Devarayalu	878-881
Shri Ramshiromani Verma	882
Shri Santosh Kumar Gangwar	882-883
Clauses 2 to 49 and 1	894
Motion to Pass	895

[*]ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 866

Member-wise Index to Unstarred Questions 867-873

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions 874

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 875

[*] Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, July 25, 2023/ Sravana 03, 1945 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

ORAL ANSWER TO QUESTION

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 61, श्री वी. के. श्रीकंदन।

… (व्यवधान)

(Q. 61)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) : अध्यक्ष जी, मैं विवरण सदन के पटल पर रखती हूं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री गौरव गोगोई।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 62, श्री मनीष तिवारी जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

<u>11.01 hrs</u>

At this stage, Shri B. Manickam Tagore, Sushri Mahua Moitra, Shri A. Raja and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप सदन चलाना नहीं चाहते हैं? क्या आप प्रश्न काल के समय का उपयोग नहीं करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि सदन को चलाएं। प्रश्न काल पर आप चर्चा करें और सरकार की जवाबदेही तय करें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको अच्छे प्रयास की कोशिश करनी चाहिए। हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आप रोज नारेबाजी क्यों करते हैं? नारेबाजी से समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी अपनी-अपनी सीट पर विराजें। मैं हर मुद्दे पर आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि संसद की गरिमा को बनाए रखें। रोज प्ले कार्ड लाना संसदीय परम्पराओं के अनुरूप नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपसे पहले भी आग्रह किया है। आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं। संसद की गरिमा को बनाए रखें। क्या आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं? क्या आप प्रश्न काल नहीं चलाना चाहते हैं? क्या आप गंभीर मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 62 to 80
Unstarred Question Nos. 691 to 920)
(Page No. 12 to 804)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आज दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

11.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

---

*Available in Master copy of Debate, placed in Library.

14.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है।

... (व्यवधान)

14.00½ hrs

At this stage, Shri T. N. Prathapan, Shri B. Manickam Tagore, Dr. Kalanidhi Veeraswamy, Shrimati Aparupa Poddar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (व्यवधान)

14.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर -2.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9679/17/23]

(3) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9680/17/23]

… (व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सामान्य ड्यूटी काडर (समूह 'ग' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2023 जो 21 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 113(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9681/17/23]

(2) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, योधक, समूह 'ख' (अराजपत्रित) परा-पशुचिकित्सा भर्ती नियम, 2023 जो 25 मार्च, 2023 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 26 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9682/17/23]

(3) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत असम राइफल्स, राइफलमैन/राइफलवुमन (सामान्य ड्यूटी) समूह 'ग' योधक पद भर्ती नियम, 2023, जो 9 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.351(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9683/17/23]

(4) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी), सामान्य ड्यूटी काडर, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2023 जो 5 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.271(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT9684/17/23]

(5) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 3051(अ) जो 11 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सभी वर्गों के यात्रियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/से निकास के लिए ओडिशा राज्य के धामरा सीपोर्ट को प्राधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में अभिहित किया गया है।

(दो) का.आ. 3053(अ) जो 11 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सभी वर्गों के यात्रियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों

के साथ भारत में प्रवेश/से निकास के लिए गोवा राज्य के मनोहर अंतराष्ट्रीय विमानपत्तन, मोपा को प्राधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में अभिहित किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 9685/17/23]

(6) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा स्कंध (अधीनस्थ रैंक), समूह 'ख' और समूह 'ग' पद (संशोधन) भर्ती नियम, 2023, जो 16 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.195(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9686/17/23]

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (KUMARI SHOBHA KARANDLAJE): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 36 of the Insecticides Act, 1968:-

(i) The Insecticides (Second Amendment) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.211(E) in Gazette of India dated 23rd March, 2023.

(ii) The Insecticides (Third Amendment) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.274(E) in Gazette of India dated 6th April, 2023.

(iii) The Insecticides (Fourth Amendment) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.315(E) in Gazette of India dated 26th April, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 9687/17/23]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under Section 4D of the Destructive Insects & Pests Act, 1914:-

(i) The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (First Amendment) Order, 2023 published in Notification No. S.O.1801(E) in Gazette of India dated 21st April, 2023.

(ii) The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Second Amendment) Order, 2023 published in Notification No. S.O.2153(E) in Gazette of India dated 10th May, 2023.

(iii) The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Third Amendment) Order, 2023 published in Notification No. S.O.2360(E) in Gazette of India dated 31st May, 2023.

(iv) The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Fourth Amendment) Order, 2023 published in Notification No. S.O.2680(E) in Gazette of India dated 19th June, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 9688/17/23]

माननीय सभापति : श्री कैलाश चौधरी जी ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

… (व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री कैलाश चौधरी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 जो 8 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.623(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2023 जो 3 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1011(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) का.आ. 1012(अ) जो 2 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 23 सितम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. का.आ. 4496(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ. 1025(अ) जो 2 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैसर्स इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले नैनो डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक (तरल) के विनिर्देश को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ. 1026(अ) जो 2 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैसर्स कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा

भारत में विनिर्मित किए जाने वाले नैनो डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक (तरल) के विनिर्देश को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(छह) का.आ. 1048(अ) जो 6 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैसर्स राय नैनो साइंस एण्ड रिसर्च सेंटर द्वारा भारत में विनिर्मित किए जाने वाले नैनो यूरिया के विनिर्देश को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(सात) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2023 जो 2 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1024(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 9689/17/23]

(2) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नामित आटा श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2023 जो 15 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.191(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सूखी अंजीर श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2023 जो 15 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.190(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9690/17/23]

… (व्यवधान)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा): आदरणीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9691/17/23]

… (व्यवधान)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी प्रतिमा भौमिक): माननीय सभापति महोदय, मैं नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[Placed in Library, See No. LT 9692/17/23]

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTINIG (DR. L. MURUGAN): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 34 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990:-

(i) The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Stenographer Posts (Amendment) Recruitment Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.451(E) in Gazette of India dated 20th June, 2023.

(ii) The All India Radio (Library Posts) Recruitment Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.288(E) in Gazette of India dated 13th April, 2023.

(iii) The Doordarshan Assistant Director (Official Language) Recruitment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.293(E) in Gazette of India dated 17th April, 2023.

(2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at Item No. (i) and (iii) of (1) above.

[Placed in Library, See No. LT9693/17/23]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), New Delhi,

for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), New Delhi, for the year 2020-2021.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT9694/17/23]

माननीय सभापति : आइटम नं. 9; डॉ. सत्यपाल सिंह जी।

… (व्यवधान)

14.02 hrs

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

130th to 141st Reports

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): सभापति महोदय, मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब संबंधी 130वां प्रतिवेदन।

(2) शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, चित्तूर के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब संबंधी 131वां प्रतिवेदन।

(3) रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम (सीआरआईएस) के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब संबंधी 132वां प्रतिवेदन।

(4) मौलाना आजाद एजूकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 25वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 133वां प्रतिवेदन।

(5) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर), रायबरेली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 28वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/ टिप्पणियों पर

सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 134वां प्रतिवेदन।

(6) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, अब जिसका विलय यू.पी. एजूकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (समग्र शिक्षा), लखनऊ में हो गया है, के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 37वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 135वां प्रतिवेदन।

(7) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए), बेंगलुरु के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के 50वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 136वां प्रतिवेदन।

(8) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 51वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 137वां प्रतिवेदन।

(9) एजूकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड (एडसिल), नोएडा के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 64वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 138वां प्रतिवेदन।

(10) राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), नोएडा के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 65वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 139वां प्रतिवेदन।

(11) केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए), दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 67वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 140वां प्रतिवेदन।

(12) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 52वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 141वां प्रतिवेदन।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नं. 11; श्री जगदम्बिका पाल जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री शिवकुमार उदासी जी।

… (व्यवधान)

14.02½ hrs

STANDING COMMITTEE ON ENERGY

36th to 38th Reports

SHRI S.C. UDASI (HAVERI): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Energy (2022-23):-

(1) Thirty-sixth Report on 'Action-Taken by the Government on Observations/Recommendations contained in the Twentieth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on the subject 'Tidal Power Development in India'.

(2) Thirty-seventh Report on 'Action-Taken by the Government on Observations/Recommendations contained in Twenty-first Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on the subject 'Financial Constraints in Renewable Energy Sector'.

(3) Thirty-eighth Report on 'Action-taken by the Government on Observations/Recommendations contained in Twenty-seventh Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on the subject 'Evaluation of Wind Energy in India'.

14.03 hrs

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS

22nd Report

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): सभापति महोदय, मैं 'भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) का 22वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नं. 13; श्री भर्तृहरि महताब जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री नायब सिंह जी।

… (व्यवधान)

14.04 hrs

STANDING COMMITTEE ON LABOUR, TEXTILES AND SKILL DEVELOPMENT

Statements

श्री नायब सिंह सैनी (कुरुक्षेत्र): आदरणीय सभापति जी, मैं, श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वस्त्र मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में 18वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 27वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(2) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में 19वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 28वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(3) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) का कार्यकरण' विषय के बारे में 20वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(4) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में 32वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 40वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

… (व्यवधान)

14.05 hrs

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 351st Report of the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Demands for Grants (2023-24) pertaining to the Ministry of Youth Affairs and Sports*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री *(*श्री निशीथ प्रामाणिक*)*: सभापति महोदय, मैं अपने वरिष्ठ साथी श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी की ओर से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में, शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 351वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं । … (व्यवधान)

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9678/17/23.

माननीय सभापति : आईटम नंबर – 9, श्री अधीर रंजन चौधरी जी।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, शुरू के दिन से हम एक ही गुहार लगा रहे हैं कि मणिपुर पर चर्चा की जाए। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No, not that.

… (*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी : मणिपुर के जो हालात होते जा रहे हैं, उस पर सदन में चर्चा की जाए। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : अधीर जी, केवल पेपर लेइंग कीजिए। अधीर दा, आप बहुत वरिष्ठ सांसद हैं।

आईटम नंबर – 15, श्री अजय मिश्रा जी।

… (व्यवधान)

14.06 hrs

ELECTION TO COMMITTEE

Committee on Official Language

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय मिश्र टेनी): सभापति महोदय, श्री अमित शाह जी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूँ:

> “कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप-धारा 2 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार श्री बालूभाई उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर, जिनका 30 मई, 2023 को निधन हो गया था *के स्थान पर* अपने में एक सदस्य को राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित करें।”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप-धारा 2 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार श्री बालूभाई उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर, जिनका 30 मई, 2023 को निधन हो गया था *के स्थान पर* अपने में एक सदस्य को राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : आईटम नंबर – 16 – श्री प्रहलाद जोशी।

14.06½ hrs

MOTION RE: FORTY-SECOND REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, I beg to move:

> "That the House do agree with the Forty-second Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 24th July, 2023."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि यह सभा 24 जुलाई, 2023 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के बयालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज़ बैठ जाइए। कार्यवाही चलने दीजिए। आप चर्चा चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाइए।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seats.

...(Interruptions)

<u>14.07 hrs</u>

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति : जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाए जाने की अनुमति दी गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

… (व्यवधान)

(i) Need to set up Electric Loco Periodical Overhauling Workshop in Kalahandi Parliamentary Constituency

श्री बसंत कुमार पंडा (कालाहाण्डी): मेरा क्षेत्र कालाहांडी देश का बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, जिसमे दो जिलों नुआपड़ा और कालाहांडी आते है जो कि आज भी कई सुविधाओं से वंचित है और दोनों जिले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के परिकल्पना के अनुसार आकांक्षी जिला है। लोग काम के आभाव में राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन करते है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि केंद्रीय सरकार ने मेरे जिले कालाहांडी के नरला विधानसभा में एक नई रेलवे परियोजना "इलेक्ट्रिक लोको पेरिओडिकल ओवरहालिंग वर्कशॉप" रु. 186.37 करोड़ रूपये की लागत से मंजूरी दी है। लेकिन अब तक कार्य आरंभ नहीं हुआ। इस परियोजना के लिए ओडिश सरकार द्वारा 328.35 एकड़ जमीन रेलवे को प्रदान की जानी है, कार्य आरंभ करने के लिए 80% भूनि में से 65% भूमि रेलवे द्वारा अधिग्रहित की जा चुकी है, जिस पर कार्य आरंभ किया जा सकता है। मेरा माननीय मंत्री जी से

---

* Treated as laid on the Table.

निवेदन है कि उक्त महत्वपूर्ण परियोजना को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द रेलवे द्वारा अधिग्रहित भूमि पर कार्य प्रारंभ किया जाए, साथ ही 35% भूमि आबंटन के लिए राज्य सरकार को निवेदन करें ताकि एक उद्योग की भी शुरुआत हो जाए और रोजगार का भी सृजन हो सकें। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के तर्ज पर और नए रोजगार स्थापित करने के लिए यह कार्य बहुत ही आवश्यक है।

(ii) Regarding educational, social and economic upliftment of nomadic and semi-nomadic tribes in the country

श्री रमाकान्त भार्गव (विदिशा): विमुक्त घुमंतू और अर्द्ध घुमंतू जाति के परिवारों के लिए भारत सरकार द्वारा इन समुदायों की पहचान करने के लिए वर्ष 2008 में रेनके आयोग एवं 2018 में इदाते आयोग का गठन किया गया था। समुदाय की प्रमुख समस्याएं विपन्नता एवं घुमंतू प्रवृत्ति होने के कारण स्थाई आवास ना होना है, साक्षरता प्रतिशत का न्यूनतम होना, स्थाई एवं पक्के आवास की समस्या, बहुतायत आबादी का गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन, सामाजिक दूरी, कुछ जातियों की शिकारी एवं अन्य अपराधिक प्रवृत्तियों में संलग्नता पुनर्वास की समस्या एवं बेरोजगारी है उक्त जाति घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ होने से जिलेवार अधिकृत जनसंख्या की जानकारी का अभाव है एवं उक्त समुदायों की भारत एवं मध्य प्रदेश में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि मध्यप्रदेश में निवासरत विमुक्त घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू समुदायों के परिवारों का चिह्न अंकन एवं रजिस्ट्रेशन कर तदुपरांत उनके लिए योजनाएं तैयार कर उनके शैक्षणिक सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का उन्नयन कर उनको मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य कराने का कष्ट करें।

(iii) Need to correct the spelling of 'Dhangadh' as 'Dhangar' in the OBC list in Maharashtra

श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर (माधा): धनगर जनजाति देश के कई राज्यों- महाराष्ट्र, कर्णाटक, गोवा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विद्यमान एक घुमंतु चरवाहा जनजाति है। महाराष्ट्र में तथा मुख्य रूप से मराठवाडा क्षेत्र में यह जनजाति काफी बड़ी संख्या में विद्यमान है। यह जनजाति सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक दृष्टि से काफी पिछड़ी हुई है। पूरे देश में इस जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता मिली हुई है परन्तु महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजाति की सूची में टाइपिंग की गलती के कारण इस जनजाति का नाम 'धनगर' के स्थान पर 'धनगढ' टाईप हो गया है तथा वर्तमान में यह जनजाति महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रमांक 36 पर 'धनगढ' शब्द के रूप में उल्लिखित है। वास्तविकता यह है कि महाराष्ट्र में धनगढ़ नाम की कोई जनजाति है ही नहीं और वहीं दूसरी और महाराष्ट्र के धनगर जनजाति के लोग टाइपिंग की गलती की वजह से अनूसूचित जनजाति को वाले सरकारी सुविधाओं से बिगत 70 सालों से वंचित है। मेरा अनुरोध है कि महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रमांक 36 पर उल्लिखित 'धनगढ' शब्द के स्थान पर 'धनगर' शब्द अतिस्थापित किए जाने हेतु शीघ्रातिशीघ्र अधिसूचना जारी करवाने की कृपा करें ताकि सदियों से शोषित व वंचित 'धनगर' समाज को न्याय मिले तथा उन्हें अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले सभी सुविधाओं के लाभ सहित तत्संबंधी प्रमाणपत्र जारी किए जा सके।

(iv) Need to set up Mobile Training Centres for farmers in every Panchayat in Maharajganj Parliamentary Constituency

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): हमारे देश में लगभग 60% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है। इस परिस्थिति में स्वाभाविक है कि देश के सभी हिस्सों में किसानों की आबादी कमोवेश इसी अनुपात में होगी। मेरा भी संसदीय क्षेत्र महाराजगंज, बिहार, एक ग्रामीण और कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पर प्रत्येक प्रकार के फसलों का उत्पादन किसानों द्वारा किया जाता है। हमारे क्षेत्र के किसान आज भी समुचित प्रशिक्षण के अभाव में खेती कर फसलों के उत्पादन करने में पिछड़े हैं। इसलिए हमारे क्षेत्र के किसानों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। किसानों के विशेष प्रशिक्षण के लिए मेरे क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत में नए रूप में "चलंत किसान प्रशिक्षण केंद्र का शुभारम्भ कर अधिक से अधिक किसानों को में प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इससे हमारे किसान अधिक से अधिक उत्पादन कर अपनी आय में बढ़ोतरी करते हुए अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। अतः सरकार से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक पंचायतों में किसानों के लिए चलंत किसान प्रशिक्षण केंद्र खुलवाया जाए।

(v) Need to regulate the use of Artificial Intelligence (AI) in educational institutions in the country

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Since November 2022, several Generative Artificial Intelligence software tools have taken the world by storm. Chat GPT was launched in November 2022 and is a free software capable of generating original topics and solutions using artificial intelligence. Similar chat bots have been launched since then, such as Google's Bard and Microsoft's Bing Chat. Students nowadays are relying heavily on these tools to fulfil their academic obligations. Universities and schools worldwide are concerned over the misuse of technology by students who submit AI-generated work as their own, which will, have a disastrous effect on the intellectual level of students. In India, RV University of Bangalore has banned the use of Chat GPT. CBSE also issued guidelines against the use of Chat GPT during Board exams. Unethical use and plagiarism are not the only concerns. These tools have frequently given false and outdated information. Generative tools which do not require any effort on behalf of students will entirely defeat the purpose of academic work, which is meant to enhance their intellectual level. Further, without any fact-checks, students might even unknowingly rely on false and outdated information. Therefore, I request the Government to regulate the use of AI in educational institutions and provide an environment for students to pursue academic rigour fairly.

(vi) Regarding setting up of three kendriya vidyalayas at Jarmundi (Dumka), Deoghar and Mahagama (Godda) in the Santhal Pargana region of Jharkhand

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): Jharkhand is having two major regions of Santhal Pargana and Chhota Nagpur. No doubt, the spread of Naxalism is an indication of the sense of desperation and alienation that is sweeping over the large sections of the people in the Jharkhand's Santhal Pargana region, who have been not only systematically marginalized but also cruelly exploited and dispossessed in their own homeland. Keeping the socio-economic problem being faced by Santhal Pargana in mind where agriculture only is the main source of income, we see an urgent need for a comprehensive plan of action where special emphasis on good and equal opportunity of employment friendly education is given utmost importance. Santhal Pargana districts of Deoghar, Godda, Jamtara, Pakur, Sahibganj and Dumka count amongst socially, educationally and economically backward districts of the country. A look at the statistics of health, education, income, etc., gives an appalling picture of the poor state of the people. Jharkhand is a rich State. It possesses 40% of India's mineral resources, but the access to resources has made little difference to the lives of the ordinary people. Poverty and ignorance are still causes for low literacy rates, poor school attendance and large-scale drop-outs. I, therefore, seek attention of the Government towards the need to set up three Kendriya Vidyalayas. An ideal location would be JARMUNDI (DUMKA), DEOGHAR AND MAHAGAMA (GODDA) in the SANTHAL PARGANA region.

(vii) Need to fill up the trenches dug up near the forest areas in Singhbhum district, Jharkhand and provide compensation to the family members of people died due to elephant attacks

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिला के बहरागोड़ा विधानसभा के चाकुलिया प्रखण्ड में जंगली हाथियों का प्रकोप काफी बढ़ा हुआ है। यह ज्ञातव्य है कि उक्त विधानसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा हुआ है और वन विभाग के द्वारा ट्रेंच (गड्ढा) खोद देने के कारण जंगली जानवर ट्रेंच को पार करके जंगलों में ना जाकर गांवों में प्रवेश कर रहे हैं और आमजन को काफी क्षति पहुंचा रहे हैं। किसानों की खेती का नुकसान एवं मकान की क्षति पहुंचाई जा रही है। यहां तक कि अभी विगत दिनों 9 लोगों की मृत्यु हाथियों के द्वारा पटक-पटक कर मारने से हुई है। उनकी मृत्यु होने पर विभाग के द्वारा उनके परिवार को मुआवजे की राशि देने में काफी विलंब किया जाता है। परंतु फसलों के नष्ट होने पर जो मुआवजे की राशि मिलती है वह बहुत कम है। साथ ही व्यक्तियों की मृत्यु होने एवं फसलों के नष्ट होने पर मुआवजे की राशि मिलने में काफी विलंब होता है तथा उक्त मुआवजे की राशि के संबंध में लोगों को यहाँ तक कि वन विभाग के पदाधिकारियों को भी विस्तृत जानकारी नहीं रहने के कारण पीड़ित परिवारों को उचित एवं समय पर क्षतिपूर्ति का मुआवजा नहीं मिल पाता है।

अतः मेरा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध है कि उक्त ट्रेंच को भरवाने एवं मुआवजे की राशि बढ़ाने के साथ-साथ संबंधित व्यक्तियों/ किसानों को समय मुआवजा प्रदान कराने की कृपा की जाए।

(viii) Need to enhance the amount of pension under EPS–95

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी (इलाहाबाद):मैं माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी का ध्यान वृद्ध EPS 95 पेंशनरों की मांग की ओर आकर्षित करना चाहूंगी।

देश के 70 लाख औद्योगिक/सार्वजनिक/सहकारी निजी क्षेत्रों से सेवानिवृत्त EPS 95 पेंशनरों द्वारा अपने सेवाकाल में देश के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परंतु आज वह दयनीय आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। अपने सेवाकाल के दौरान 470 रुपए, 541 रुपए तथा 1250 रुपए प्रतिमाह पेंशन फंड में जमा कराने के बाद भी वर्तमान में उन्हें अधिकतम 1171 रुपए मिलते हैं। इससे उनके रोजमर्रा के कार्य भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 4.10.2016 एवं 04.011.2022 के आपेक्ष में इनके पेंशन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह करती हूं। मेरा यह अनुरोध है कि EPS -95 के पेंशनरों को इनके मांगानुसार न्यूनतम 7500 रूपए (महंगाई भत्ते के साथ) प्रदान किया जाए तथा इन लाभार्थियों के पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी दी जाए।

(ix) Need to provide treatment of infertility among women in government hospitals in Maharashtra and also set IVF Centres in hospitals in the State

डॉ. जयसिधेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी (शोलापुर): बांझपन प्रजनन प्रणाली की एक बीमारी है जिसमें शरीर का सबसे बुनियादी कार्य बच्चे पैदा करना नष्ट हो जाता है। गर्भवती होना एक जटिल प्रक्रिया है जो कई कारकों पर निर्भर करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में हर छह में से एक व्यक्ति बांझपन से पीड़ित है। उच्च, मध्यन और निम्न आय वर्ग वाले देशों के लिए यह अनुपात थोड़ा अधिक है। उच्च आय वर्ग वाले देशों में 17.8 प्रतिशत वयस्क बांझपन से पीड़ित हैं, जबकि निम्न आय वाले देशों में यह आंकड़ा 16.5 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि दुनिया भर के सभी देशों में बांझपन का इलाज आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। आईवीएफ के दौरान, अंडाशय से परिपक्व अंडे एकत्र (प्राप्त किए जाते हैं और प्रयोगशाला में शुक्राणु द्वारा निषेचित किए जाते हैं। फिर निषेचित अंडे (भ्रूण) या अंडे (भ्रूण) को गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। आईवीएफ के एक पूरे चक्र में लगभग तीन सप्ताह लगते हैं। कभी-कभी ये चरण अलग-अलग भागों में विभाजित हो जाते हैं और इस प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है।

भारत देश के विभिन्न राज्य में प्राईवेट आईवीएफ सेंटर उपलब्ध है। इस वर्ष गोवा राज्य के आरोग्य मंत्रालय द्वारा वंधत्व निवारण केंद्र शुरू किया जा रहा है। महाराष्ट्र में निजी अस्पताल मे वंध्यत्व निवारण केंद्र लगभग हर जिले में है। इसमें उपचार लेने वाले मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। आईवीएफ उपचार के लिए आनेवाला खर्च लगभग लाखों में होने के कारण आम आदमी और विशेष करके गरीब परिवार इस उपचार से वंचित रहता है। इसलिए भारत सरकार के स्वास्थ मंत्रालय से नम्र निवेदन करता हूँ कि महाराष्ट्र के जिल्हा सरकारी अस्पताल में या सरकारी मेडिकल कॉलेज मे वंधत्व निवारण केंद्र शुरू करने बाबत योग्य कदम उठाये जाये और यह आईवीएफ सेंटर शुरू करने के लिये महाराष्ट्र सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान करे।

(x) Regarding repair of Muzaffarpur-Janakpur-Orai road and construction of a bridge over Bagmati River in Bihar

श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर): बिहार प्रदेश अन्तर्गत अपने संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर स्थित मुजफ्फरपुर- जनकपुर वाया औराई सड़क मार्ग के जीर्णोद्धार एवं बभनगामा घाट पर बागमती नदी में पुल निर्माण कराये जाने की ओर मैं केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। प्राचीन काल से ही मुजफ्फरपुर से जनकपुर नेपाल जाने के लिए गरहा-हथौड़ी-अमनौर-औराई- पुपरी होते हुए सड़क की उपलब्धता रही है। यह सड़क अंतरराष्ट्रीय स्तर की रही है। भौगोलिक उथल-पुथल व बागमती नदी पर पुल न होने के कारण विगत कई वर्षों से यह सड़क बाधित है। इसी मार्ग में बागमती नदी आती है, जिसके उत्तरी व दक्षिणी बाँधों के बीच बभनगामा घाट पर पुल न होने के कारण लाखों लोगों को आवागमन की परेशानियाँ सालों से बनी हुई है। मैंने अपने पत्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार को पुल निर्माण और उपरोक्त सड़क नर्ग के जीर्णोद्धार के लिए आग्रह किया था लेकिन मुझे सूचित किया गया कि यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है बल्कि बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के मातहत आता है। तदुनोरांत मैंने इसे बिहार सरकार के सामने भी कई बार उठाया है लेकिन बिहार सरकार की उदासीनता और आमजनों की परेशानियों के मद्देनजर मैं पुनः केन्द्र सरकार से माँग करना चाहूँगा कि बिहार सरकार को केन्द्र के स्तर से निदेर्शित किया जाए ताकि बिहार सरकार प्राथमिकता के आधार पर उक्त सड़क का जीर्णोद्धार एवं बागनती नदी के बभनगामा घाट पर पुल का निर्माण कराया जाए।

(xi) Regarding flood control measures in Delhi and payment of compensation to people affected due to recent floods in Delhi

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): मैं सरकार का ध्यान दिल्ली में आई बाढ़ की विभीषिका और उसके बाद बिस्थापित हुए हजारों लोगों के नुकसान की ओर दिलाना चाहता हूं। भारी तबाही के बीच हमारे संसदीय क्षेत्र उत्तर पूर्वी दिल्ली के बुराड़ी, जगतपुर गांव, वजीराबाद गांव, सोनिया विहार, बदरपुर, खादर, सभापुर गांव, श्री राम कॉलोनी, करावल नगर, यमुना विहार, करतार नगर, सीलमपुर, शास्त्री पार्क, खजूरी खास, भजनपुरा तथा गोपालपुर गांव के लाखों लोग बाढ़ की बिभीषिका से प्रभावित हुए और इन क्षेत्र और यमुना के बीच बने दोनों ओर मार्जिनल बांधों में कहीं दरार आई तो कहीं बड़े रिसाब से यमुना का पानी घनी आबादी में घुस गया 2019 में जब 8 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया तब यमुना का स्तर 207 मीटर के पार कर गया और इस बार जब उससे कहीं कम पानी हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा गया तो यमुना का जल स्तर 208 मीटर के पार चला गया स्थिति साफ है कि यमुना की सफाई नहीं की गई। यमुना के दोनों तरफ बने मार्जिनल बांधों को मजबूत नहीं बनाया गया और दोनों तरफ घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई, जिसकी वजह से बढ़कर प्रकोप से अधिक से अधिक नुकसान हुआ । मैं संबंधित मंत्रालय से निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के बीते 4 साल में बाढ़ नियंत्रण पर किए गए खर्च की जांच कराई जाए । बदरपुर, खादर गांव से नानकसर टी पॉइंट वजीराबाद रोड तक के बांध का शीघ्र दोहरीकरण किया जाए, जिसका कार्य 20 अक्टूबर 2021 को मेरे द्वारा प्रस्तावित किया गया था तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधीन लंबित है । नानकसर से कश्मीरी गेट पुल के बीच एक वैकल्पिक मार्जिनल बांध बनाया जाए और उपरोक्त कॉलोनी गांव और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पानी निकासी के माध्यम मौजूद बड़े नालों का पुनर्निर्माण करने के लिए लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाए, जिससे लाखों लोगों को हर साल आने वाली बाढ़ में पीड़ितों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई दिया जाए।

(xii) Need to provide stoppage of trains at various railway stations in Salempur Parliamentary Constituency

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): रेलवे भारतीय यात्रा की जीवन रेखा है, जिससे करोड़ों लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं। जब से केन्द्र में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से रेलवे ने अभूतपूर्व विकास किया है। आज लोगों को विश्वस्तरीय रेल सुविधा मिल रही है, जिसके लिए मैं नाननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का आभार व धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं माननीय रेल मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि कोरोना काल के दौरान लगभग सभी ट्रेनों का संचालन निरस्त कर दिया गया था, बाद में ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू हो गया, परन्तु मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर कुछ ट्रेनों का ठहराव निरस्त कर दिया गया, जहां पूर्व समय से ठहराव चलता आ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र की कुछ और महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव यात्री सुविधा हेतु जनहित में अतिआवश्यक है। भाटपार रानी रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या-15203/15204, लखनऊ, बरौनी, गाड़ी संख्या-11123/11124 ग्वालियर, बरौनी, गाड़ी संख्या-15910/15909, डाउन अवध आसाम एक्सप्रेस, बनकटा रेलवे स्टेशन पर - गाड़ी संख्या-15027/15028 मौर्य एम्स्प्रेस, गाड़ी संख्या-11123/11124 अप ग्वालियर बरौनी, सलेमपुर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या-11055/11056 गोदान एक्स्प्रेस, गाड़ी संख्या-180201/180202 दुर्ग एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या-15050/49 पूर्वांचल एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या-15021/15022 शालीमार एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या-11037/11038 पुणे एक्सप्रेस तथा गाड़ी संख्या-19490/19489 गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस, इन सभी ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित किया जाए। साथ ही रेवती स्टेशन जिसे पहले से स्टेशन का दर्जा प्राप्त था उसे पूर्व की भांति रेलवे स्टेशन का दर्जा बरकरार रखा जाए।

(xiii) Regarding present status of establishment of 100-bedded ESIC Hospital in different districts of Haryana

श्री नायब सिंह सैनी (कुरुक्षेत्र): मैं माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कारखानों और विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिक/कर्मचारी ESIC सदस्यों को आधुनिक चिकित्सा सेवाएं मुहैया उपलब्ध करने के लिए सौ बैड हॉस्पिटल बनाने की योजना बनाई । यह पंचकूला, सोनीपत, हिसार, रोहतक, अम्बाला, सिरसा और करनाल में ESIC की अभी तक केवल डिस्पेंसरी खुली है। कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। जिस कारण ESIC कार्ड धारकों को उच्च स्तरीय इलाज के लिए फरीदाबाद ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं। कार्ड धारकों को उनके जिलों में बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके, इसको लेकर यह योजना बनाई गई है । वहीं, मेडिकल कॉलेज पर मरीजों का काफी दबाव रहता है । सबसे ज्यादा दिक्कत सिटी स्कैन, एमआरआई व अन्य जांच प्रक्रिया में होती है। यही स्थिति ऑपरेशन के नरीजों को होती है। मरीजों को ऑपरेशन के लिए छह-छह माह का इंतजार करना पड़ता है। इसे देखते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हरियाणा प्रदेश के जिलों में सौ-सौ बैड के अस्पताल बनाने की योजना तैयार की है। इनमें मरीजों को उच्च स्तरीय इलाज की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। अतः मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन स्वरुप यह जानना चाहता हूँ इन सौ सौ बेड हॉस्पिटल की वर्तमान स्थिति क्या है।

(xiv)Regarding completion of Hejjala-Chamarajanagar new broad gauge railway line

SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL): Hejjala-Chamarajanagar new Broad Gauge Railway line via Kanakapura was sanctioned during 2013-14. The total length of this project is 152 km falls within the state of Karnataka. The Detailed estimate for Rs. 1382.78 Crore was also sanctioned by Railway Board during 2013. The Government of Karnataka had already agreed in 2014 for 50:50 cost sharing. I raised this issue several times in the House, There are a number of representations given to the Railway Ministers. The State Government also sent their proposals. However, there is no adequate allocation made for this project. This is a very significant railway line to connect Chamarajanagar to Bangalore. So I urge upon the Union Government to look into this matter to execute the railway line at the earliest.

(xv) Need to review the decision to close Railway Printing Press at Royapuram, Chennai

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): The Railway Board have communicated the decision to close down five Railway Printing Presses including the Royapuram Printing Press of Chennai which is functioning since 1890. In course of time, the printing press has developed from composing to DTP technology and now functioning with ROTATEK machine imported from Spain in 2015 at a cost of more than Rs. 15 crore. This Press has been printing Passenger Reservation System Tickets, Unreserved Ticketing System, Passenger Time Table and Working Time Table, Reservation forms and various books & forms and Service Registers essentially required by the Railways. If Royapuram Press is closed now, the valuable assets worth several crores and printing materials purchased recently will have to be disposed of at scrap value. The employees who are well trained in printing work will also have to be redeployed to do unrelated work. Moreover, if these printing jobs are outsourced, there are possibilities for occurrences of fraudulent practices as being frequently reported in the media, and increased price of printing which could ultimately burden the fare paying passengers. I request the Union Government to do the needful to stop the closure of Railway Printing Press at Royapuram, Chennai.

(xvi) Need to allocate special funds for improving the Infrastructure and developing adventure tourism in Dharmapuri Parliamentary Constituency

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): I wish to state that in my Parliamentary constituency there is huge potential for tourism. Specifically, 1. Nagamarai, Pennagaram Taluk 2. Sittlingi, Harur Taluk. The former has potential for recreational tourism and later has potential for adventure tourism. The scenic location of Nagamarai and Sittlingi has huge advantage for developing as a potential tourism centre whereas Nagamarai is located in Mettur backwaters which is navigable. Nevertheless it lacks infrastructure facility. Hence, I urge upon the Union Government to allocate special funds for improving the infrastructure and developing it as a potential tourist spot.

(xvii) Need to take steps to maintain law and order and communal harmony in Manipur

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Manipur has been seeing ethnic violence between Meiteis and Kuki-Zomis since May. Tribal Students Unions have been protesting on a Court order to send recommendation to include Meitei community in Scheduled Tribe list. A video circulating on social media, showed two Kuki women being paraded naked by a mob. The incident occurred in B Phainom village in Kangpokpi district on May 4, one day after the ongoing clashes. Since then, people from both sides have attacked each others homes, vehicles, churches and temples. Hundreds of people have been killed and lakhs of people are in temporary sheds/shelter camps. The European Union and Western countries have passed resolutions blaming the violence as a result of divisive policies. The clashes have resulted in complete segregation of the two communities. Manipur violence raises concerns about intelligence failure, heavy militarisation and ongoing economic blockades. The breakdown of law and order in Manipur is an indictment of the Central Government and a setback to New Delhi's long-term strategy in the Northeast. The State and Central Government have failed to protect the human life and livelihood in the State. I urge upon the Central Government to take urgent steps to maintain law and order and communal harmony in Manipur immediately.

(xviii) Need to construct a subway at Dhulian Ganga Railway station at Murshidabad

SHRI KHALILUR RAHAMAN (JANGIPUR): I would like to draw the attention of Government towards casualties, and jams happening near all three-railway crossings (Lock gate No- 45/C/T; 44/SPL/T; 43/SPL/E) surrounding Dhulian Ganga Railway Station at Murshidabad District throughout the day due to frequent closure of railway gates. We have noticed that despite the highest density of population, for every closure of the railway gate for 5 mins, thousands of vehicles passersby were caught in a jam badly. Very serious patients traveling by ambulance are also caught in jams regularly. Death in ambulances happen frequently. Despite several requests made earlier, no proper action has been taken in this regard. Dhulian being the busiest town and the gateway to Jharkhand State, students, passenger vehicles, transport vehicles, patients, and ambulances are caught in jams on a regular basis. In the current situation, construction of a subway in one of the railway crossings has become the need of the hour to avoid unintended mishappening. I strongly demand to take necessary action in this regard.

(xix) Regarding treatment of Anaemia among women

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): According to the National Family Health Survey 5 (NFHS-5), 67.1% children between the ages of 6 and 59 months, 56.5% women between the ages of 15 and 19 in rural areas and 60.2 % in urban areas are anaemic. 52.2 % of pregnant women between the ages of 15 and 49 years are anaemic. Anaemia among adolescent girls (59.1%) advances to maternal anaemia causing maternal and infant mortality. Anaemia lowers physical as well as cognitive growth along with alertness among children and adolescents impacting their future potential as productive citizens. Government has been working relentlessly towards lowering cases of anaemia through Anaemia Mukt Bharat programme, regularly testing pregnant women for anaemia and providing them with Iron and Folic acid supplements. However, wider approach is required to fight current levels of anaemia. I would request the Hon'ble Minister of Women and Child Development to introduce testing and treatment of anaemia using digital methods with special focus on school-going adolescents. Intake of iron-rich food can be increased by introducing Iron fortified foods in Public Health Programmes using locally available resources. Nutritional Deficiency must be considered as an important indicator by the Government for addressing the situation in a timely manner.

(xx) Need to include villages of Ratnagiri-Sindhudurg under 4G mobile coverage

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर के वंचित गांवों में 4 जी मोबाइल सेवाओं की सहमती के लिए एक सुगम परियोजना को मंजूरी दी है। इसे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। बीएसएनएल द्वारा निष्पादित किया जाएगा, इस योजना से निश्चित रूप से मोबाइल सेवा में सुधार होगा। मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग के केवल 213 गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है और कई गांवों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग के कई गांवों में दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) से 4जी मोबाइल सिग्नल कवरेज उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों, व्यापारियों, छोटे व्यवसायियों सहित अन्य लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग के सारे गांव जो अभी तक उपरोक्त सूची में शामिल नहीं किए गए हैं, इन सभी गांवों में 4जी मोबाइल कवरेज के प्रावधान के अंतर्गत शामिल किया जाए! तांकि रत्नागिरी-सिंधुदुधुर्ग के सभी ग्रामवासियों को सुविधा मिल सके और वे इस योजना का लाभ उठा सकें।

(xxi) Regarding East Coast Rail Project in Tamil Nadu

SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): During the year 2007, one of Tamil Nadu's dream project called the "East Coast Rail Project" was laid out and it was decided to build a rail line starting from Chennai Perungudi passing through Mamallapuram, Kalpakkam and Puducherry to Cuddalore. To implement the project, a survey and feasibility of the project has already been completed. The objective of this project is to build a rail line starting from Chennai to Cuddalore through the entire area along the Bay of Bengal. Now for almost 16 years the project has been under active consideration to change/deviate the earlier plan/route and re-route to start from Chenkalpattu instead of Chennai Perungudi. Any changes to the East Coast Rail Link Project will defeat the very purpose of the project. Further, the cost of all building materials has increased. Hence, I urge upon the Hon'ble Minister of Railways to take necessary action and give instructions immediately to Southern Railways not to change/deviate the earlier approved route which was decided in the year 2007 so as to build "East Coast Rail Project" from Chennai Perungudi to Cuddalore through the entire area along the Bay of Bengal. I also request to increase the budget to meet the increased cost to execute this project and complete the project as early as possible.

(xxii) Need to restore the stoppages of various trains in Kollam Parliamentary Constituency

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The Indian Railway have cancelled the stoppage of various trains in Kollam Loksabha Constituency while the train service were restarted after Covid19. The stoppage was cancelled on the basis of the revenue during the travel restriction period. The cancellation of stoppage caused much difficulty to the passengers. The stoppage of the following trains were cancelled when the train services were restarted after Covid-19. The repeated request for restoration of the stops were not considered by the Government. It is the duty of the Railways to provide public transport, hence, it is highly necessary to restore the following stops.

1.Train No 16366 Perinad 2.Train No.16327/16328 Perinad 3.Train No. 16101/16102 Thenmala 4.Train No.1 6791/16792 Thenmala and Aryankavu 5. Train No. 16629/16630 Mayyanad 6. Train No. 16347/16348Paravur 7.Train No. 16128/16127 Paravur station.

Hence, I urge upon the Government to restore the aforesaid stoppage at the earliest.

(xxiii) Need to include persons belonging to Gond community in Uttar Pradesh in the list of scheduled tribes

श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार): उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हैं और उन्हें अभी भी जातिगत प्रमाणपत्र प्राप्त करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हैं। उन्हें समय पर जातिगत प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हो पाता हैं। दूसरी और उत्तर प्रदेश के बाकि अन्य जिलों में गोंड समुदाय अभी अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचिबद्ध नहीं हैं उन्हें अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है तथा उत्तर प्रदेश के गोंड़ समुदाय के उपजाति के रूप में जो भी लिस्ट हैं उन्हें सरकार द्वारा सूचिबद्ध नहीं किया गया है। अतः मेरा राज्य एवं केंद्र सरकार से अनुरोध हैं कि उन्हें बिना किसी कठिनाई के सुगमता पूर्वक जातिगत प्रमाणपत्र जारी किया जाये और जो भी अन्य जिलों में अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ हैं उन्हें अतिशीघ्र अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाये तथा उत्तर प्रदेश के गोंड जनजाति के जितने भी सब कास्ट हैं, सरकार द्वारा उन्हें लिस्ट में सूचीबद्ध किया जाये और गोंड जनजाति की उपजाति को सरकार द्वारा नोटिफाई किया जाये ताकि कोई अन्य समुदाय उनके लिस्ट में न आये।

(xxiv) Need to implement the reports on Autism Spectrum Disorder and Cerebral Palsy

SHRI SUNIL KUMAR PINTU (SITAMARHI): Autism Spectrum Disorder (ASD), Cerebral Palsy (CP), आदि जैसी लाइलाज बीमारी के स्थायी और किफायती इलाज के जनवरी 2022 में तैयार की गई रिपोर्ट (1) “List of practices and procedures involving Cell or Stem Cell based preparations for therapeutic purpose as identified by experts and (2) Standard Operating Procedures (SOP) for control and monitoring of procedures involving cell or stem cell based preparations for therapeutic purpose” – को तत्काल लागू किए जाने की आवश्यकता है । जैसा कि देश-विदेश में, विशेषकर अनाथालयों/वंचित वर्गों में उक्त बीमारियों से जूझ रहे करोड़ों बच्चों/बुजुर्गों/नौजवानों से अन्य बातों के अलावा मानवता शर्मसार हो रही है ।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव): माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि आइटम नंबर 19 को पहले ले लें। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की सहमति है, आइटम नंबर 19 को पहले ले रहे हैं।

… (व्यवधान)

कई माननीय सदस्य: जी हां।

माननीय सभापति : आईटम नंबर 19 - जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022 संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित।

माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

14.09 hrs

BIOLOGICAL DIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2022*

As Reported By Joint Committee

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE, AND MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BHUPENDER YADAV): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Biological Diversity Act, 2002, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration."

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि जैव विविधता अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, पर विचार किया जाए।"

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-2, dated 25.07.2023

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022 पर बोलने का मौका दिया है। ... (व्यवधान)

महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि यह जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी से पास हो कर के आया है। इतना ही नहीं, चूंकि जेपीसी में सभी पार्टियों के सांसद उसमें मौजूद रहते हैं और किसी ने कोई डीसेंट नोट नहीं दिया। जब हम लोगों ने संशोधन कर के इसका फाइनल प्रारूप लोक सभा के पटल पर रखा, उसके पहले जो बैठक हुई, उसमें किसी भी विरोधी दल के किसी सांसद ने किसी प्रकार का ऐतराज नहीं किया। ... (व्यवधान)

यह बताता है कि इस बिल पर सभी सांसदों और राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति है। इसके लिए मैं सभी सांसदों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा।... (व्यवधान)

सभापति महोदय, वर्ष 2002 में जो जैव विविधता संशोधन बिल आया था, वह यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी को लेकर था।... (व्यवधान) उसमें एक नागोया प्रोटोकॉल साइन हुआ था कि जिन स्थानों पर जो चीजें निकलती और उगती हैं, स्थानीय इलाके की जो खासियत है, उसका फायदा स्थानीय लोगों को भी मिलना चाहिए।... (व्यवधान) उसके साथ ही वे चीजें सभी के लिए उपलब्ध भी होनी चाहिए। इन दोनों को ध्यान में रख कर नागोया प्रोटोकॉल हुआ था और भारत भी उसका सिग्नेटरी है।... (व्यवधान) 15 वर्षों में कुछ राज्यों ने बायोडाइवर्सिटी लॉ का, खासकर जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड थे, उन्होंने बहुत गलत फायदा भी उठाना शुरू किया।... (व्यवधान) मैं नाम लूंगा, उसमें हमारा झारखंड राज्य है।... (व्यवधान) उन्होंने कह दिया कि जितनी भी आरा मीलें चल रही हैं, वे सभी बायोडाइवर्सिटी में आती हैं।... (व्यवधान) मैं एक तरह से कहना चाहूंगा कि अनुचित ढंग से झारखंड की सारी आरा मिलों को बंद कर दिया गया।... (व्यवधान) जो लोग जंगल के सारे कानूनों का पालन कर रहे थे, जो गरीब लोग 100 मीलों से जीते थे, उन सभी को बायोडाइवर्सिटी को लेकर बहुत परेशान किया गया।... (व्यवधान)

उसी प्रकार छतीसगढ़ सरकार को अचानक आइडिया आ गया कि कोयला हमारा बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्ट है।... (व्यवधान) इस तरह की बहुत सारी चीजें होने लगी थीं।

फार्मास्यूटिकल कंपनीज का कहना था कि हम सामान को तरीके से खरीद कर लाते हैं।... (व्यवधान) उसके बाद कोई ऑफिसर आकर कहता है कि आप सब को जेल में डाल देंगे, क्योंकि आपके पास जो जड़ी-बूटी या जो भी प्रोडक्ट है, वह चोरी किया हुआ प्रोडक्ट है।... (व्यवधान) इस तरह से अफवाह फैलाया जाता था।... (व्यवधान) इसमें पहले भी एबीएस का था, लेकिन अगर कहीं पर सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसीन बनता है तो वह महाराष्ट्र में बनता है । महाराष्ट्र की पंचायतों को जो बेनिफिट शेयरिंग देना था, वह शून्य है।... (व्यवधान) उसी तरह से ओडिशा में भी बहुत ज्यादा जंगल है और बहुत सारी जड़ी-बूटियां थीं । इनको ग्राम पंचायतों में बनने के बावजूद भी कोई एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग ओडिशा को नहीं मिल पाया।... (व्यवधान)

सर, इस तरह से लगभग 11 राज्य हैं, जहां पर उन चीजों की खासियत है, चाहे वह जड़ी-बूटी हो या औषधीय पौधे हों । वह नॉर्मल हर्बल का प्रोडक्ट भी हो सकता है, लेकिन उसमें किसी को फायदा नहीं हो रहा था।... (व्यवधान) मैं भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी और माननीय मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव जी को धन्यवाद दूंगा कि वह यह जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022 लाये है।... (व्यवधान) यह इतना अच्छा और बैलेंस्ड था कि कांग्रेस के हमारी सभी सांसद भी इसके लिए तैयार हो गए कि इन संशोधनों के साथ हम बिल पारित करेंगे।... (व्यवधान)

महोदय, इसमें मैं आपके सामने दो चीजों के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। यह पहली बार है कि इसमें भारतीय कंपनियों को फायदा दिया जा रहा है।... (व्यवधान) वह सिम्प्ली रजिस्टर करके अपना रिसर्च भी कर सकती हैं और अपना प्रोडक्ट भी बना सकती हैं, जो पहले नहीं था।... (व्यवधान) विदेशी कंपनियों के लिए आज भी पहले वाले ही नियम हैं। यदि उसी तरह से जिन भारतीय कंपनियों में विदेशी शेयर भी हैं, तो उन पर पहले बिल्कुल क्लियरिटी नहीं थी... (व्यवधान) । अब अगर भारतीय कंपनियां भारतीयों के द्वारा ओन की जाती हैं तो उनको भी भारतीय कंपनी मानते हुए फायदा दिया जाएगा।... (व्यवधान) उसी तरह से इसका सबसे बड़ा फायदा है कि अब कोई भी भारतीय व्यक्ति या यूनिवर्सिटी रिसर्च कर सकता है।... (व्यवधान) अगर वह रिसर्च में सक्सेसफुल होता है तो उसको विशेष परमिशन की जरुरत होगी।... (व्यवधान) इसमें कई लोग अफवाह भी उड़ाते हैं कि

विदेशी कंपनियां फायदा उठा लेंगी।… (व्यवधान) उन पर भी पेटेंट लॉ लागू होगा। सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब हम खेतों में औषधीय पौधों को बनने देंगे और वह गांव में रजिस्टर्ड होंगे तो जंगल से जिन औषधीय पौधों और जड़ी-बूटी की चोरी होती थी, वे सब अब रूक जाएंगी।… (व्यवधान) इसमें सभी को फायदा होगा। इसलिए, मेरा आपसे और सदन से अनुरोध रहेगा कि जिस प्रकार जेपीसी में सभी ने सर्वसम्मति से संशोधनों को अप्रूवल दिया है, कृपया करके आज भी इसको सर्वसम्मति से पारित करें।… (व्यवधान) मैं जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 को पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, सभा पटल पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत होने से रह गई थी।

डॉ. सत्यपाल सिंह जी।

… (व्यवधान)

14.14 hrs

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

66th to 68th Reports

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): सभापति महोदय, मैं लोक लेखा समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 'स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोग (2020-21) से अधिक व्यय' संबंधी 66वां प्रतिवेदन।

(2) 'संपदा निदेशालय का कार्यकरण के बारे में समिति के '41वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 67वां प्रतिवेदन।

(3) 'स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोग (2018-19) से अधिक व्यय' के बारे में समिति के 42वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 68वां प्रतिवेदन। …(व्यवधान)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। कृपया इसमें भाग लीजिए, सुनिए। यह आप सबकी रुचि का विषय है, देश की प्रगति से जुड़ा विषय है, जैव विविधता का बिल है। कृपया सुनिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्रीमती अपराजिता सारंगी।

… (व्यवधान)

14.15 hrs

BIOLOGICAL DIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2022

As Reported By Joint Committee… Contd.

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. … (*Interruptions*)

"The value of biodiversity is that it makes our ecosystems more resilient, which is a prerequisite for stable societies; its wanton destruction is akin to setting fire to our own lifeboat." Johan Rockstrom, the Swedish scientist had said this. … (*Interruptions*) I must say that the Government of Prime Minister Modi has realised the importance of biodiversity in our country and that is why the Ministry of Environment, Forests and Climate Change has gone for the amendment of the Biodiversity Act, 2002 and presented the Biological Diversity (Amendment) Bill, 2021. … (*Interruptions*)

Sir, as has been said by the Chairperson of the JPC – of course, a Joint Parliamentary Committee had been constituted and I had the privilege of being its Member – the JPC went for a meticulous exercise and asked for suggestions from all stakeholders, both Government and non-Government, before finalising

the Amendment Bill and sending the same to this august House for ratification. … (*Interruptions*)

Sir, I must say that India has been a signatory to the UN Convention on Biological Diversity, 1992 and the Nagoya Protocol. In line with these international instruments, we are supposed to bring in certain changes in the Biological Diversity Act, 2002 and that is why we are here today to discuss all the amendments that have been proposed after meticulous exercise by the Joint Parliamentary Committee. … (*Interruptions*) As has been said by the Chairperson, in the Joint Parliamentary Committee there was absolutely no disruption and there was no objection to the amendments proposed by the Ministry. I must say that I congratulate Prime Minister Modi and the Minister, Shri Bhupendra Yadav for having deliberated upon this particular exercise and presented a Bill of relevance. … (*Interruptions*)

There are a couple of reasons why we have gone for this particular amendment. During the past years, concerns were raised by various stakeholders representing Indian systems of medicine and biotechnology and research centres urging to simplify, streamline and reduce compliance burden, and encourage a conducive environment for collaboration, research, and investments. … (*Interruptions*) Secondly, we had to simplify our patent application process. Thirdly, and very importantly, widen the scope of levying access. Nagoya Protocol talks of access and benefit sharing. That is very important. … (*Interruptions*) The following major amendments have been proposed. At the cost of being repetitive, I would be just listing out five major amendments that have been proposed by the

Bill. … (*Interruptions*) Firstly, it talks of reducing the pressure on wild medicinal plants by encouraging cultivation of medicinal plants. … (*Interruptions*)

Secondly, it talks of exemption of codified traditional knowledge from the purview of the Biodiversity Act, 2002 for Indian companies – I reiterate, for Indian companies – to provide suitable environment for the growth of AYUSH industries. We are aware of the fact that our hon. Prime Minister is laying considerable emphasis on the promotion of AYUSH industry and that is why this particular Bill will actually encourage the promotion and the strengthening of the AYUSH sector. … (*Interruptions*)

Thirdly, it aims at aligning the Biodiversity Act with the Companies Act, 2013. This is very important. This particular Bill will align the Biodiversity Act with the Companies Act, 2013 with regard to the definition of Indian foreign company for attracting more foreign investments in research and commercialisation. … (*Interruptions*)

Fourthly, it will facilitate fast tracking of patent application process for Indians without compromising the national interest or rather international agreements where India is a party. … (*Interruptions*)

Last but not least, and it is very important; I must congratulate the Ministry for having actually deeply gone into it. It is a meticulous exercise. I take this opportunity to once again congratulate the hon. Minister and his entire team, and the National Biodiversity Authority too. It talks of decriminalisation of certain provisions of the Biological Diversity Act by substituting criminal offence with civil offence… (*Interruptions*)

Sir, the Bill was referred to the JPC in December, 2021. The JPC actually considered the Bill and gave its recommendation. Now, the Bill is there … (*Interruptions*) I think, this is in the interest of the country that we pass it. So, I would appeal to all the hon. Members of this august House to kindly pass this Bill. Thank you so much.

HON. CHAIRPERSON : Shri K. Sridhar : Not present.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shrimati Geetha Viswanath.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Hon. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on this very important Bill.

I would like to commend the Government for being so proactive with respect to the needs and demands of AYUSH practitioners and entrepreneurs and creating a holistic legal framework to address their concerns.

Sir, many positive points are there. For example, there is an ease in compliance burden. There is also a new Patent Framework, and ease in benefit sharing. Then, there is also simplification in scope of mutual agreement.

Sir, side by side, there are some negative points also and to address them, the Government should take necessary steps. There is no definition of codified traditional knowledge. The Bill exempts user of 'codified traditional knowledge' from benefit sharing with local communities, but this term has not been defined. Neither has it been defined in the Convention on Biological Diversity, and Nagoya

Protocols. So, such a gap might exempt almost all traditional knowledge from benefit sharing requirements which is counterproductive.

Sir, my second point is that there is a lack of balance between commerce and local needs. The Bill has given clear weightage to commerce and Intellectual Property Rights, but equal weightage must also be given to the conservation of biological resources.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please do not disturb.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH: Sir, my third point is prevention of habits. The Bill removes` the functions of the Biodiversity Management Committee to preserve habitats while promoting conservation and sustainable use of biodiversity. I would request the Government to clarify the logic behind this move as it contradicts the values of our nation. … (*Interruptions*) The Joint Parliamentary Committee on the Bill has also recommended in its Report that this provision must be retained. In fact, they have added that conservation of living things in water bodies should specifically be added to extend the intent and scope of the provisions … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please do not disturb the House. Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Malook Nagar. Please conclude within two minutes.

… (*Interruptions*)

श्री मलूक नागर (बिजनौर): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। … (व्यवधान) टीवी पर रोज डिबेट होती है कि कौन सदन को नहीं चलने देना चाहता है? हम सदन में चर्चा करना चाहते हैं, मणिपुर पर चर्चा करना चाहते हैं, मणिपुर के मुख्य मंत्री हटें, यह चाहते हैं और राजस्थान के मुख्य मंत्री हटें, यह भी चाहते हैं। … (व्यवधान)

माननीय भूपेन्द्र यादव जी को हम धन्यवाद देते हैं कि वह एक अच्छा बिल लेकर आए, जिससे किसानों को फायदा होगा। जो लोग व्यवधान कर रहे हैं, वे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। … (व्यवधान) 20 लाख लोग, जो हमें चुनकर भेजते हैं, उनके भी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय सभापति जी, आज एक महत्वपूर्ण बिल पर इस सदन में चर्चा हो रही है। यह बिल इस मायने में महत्वपूर्ण है कि पूरी दुनिया इस समय ट्रिपल क्राइसिस से गुजर रही है। … (व्यवधान) एक तरफ क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस है, तो दूसरी तरफ डेजर्टीफिकेशन ऑफ लैंड का क्राइसिस है और तीसरी तरफ लॉस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का क्राइसिस है। … (व्यवधान) भारत ने वर्ष 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के बाद से माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के इस एनवायरमेंटल क्राइसिस का क्लाइमेट एक्शन के द्वारा माकूल उत्तर दिया है और दुनिया का नेतृत्व करने का काम माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में किया है। … (व्यवधान) जैसा कि मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने भी बताया कि वर्ष 1992 में कनवेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी की जो अर्थ समिट हुई थी, उसका भारत हिस्सेदार है। वर्ष 1992 की बायोलॉजिकल डायवर्सिटी की कन्वेंशन को जो हमने स्वीकार किया, उसके बाद वर्ष 2002 में बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट आया। … (व्यवधान)

यह संयोग ही है कि वर्ष 2002 में हमारे एनडीए के प्रधान मंत्री माननीय अटल जी के नेतृत्व में सरकार थी और आज जब समय अनुकूल बन रहा है तब भी देश में एनडीए की सरकार कार्य कर रही

है ।... (व्यवधान) यह दर्शाता है कि देश के विकास में किस प्रकार का योगदान पिछले 9 वर्षों में माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में विशेष रूप से पर्यावरण के क्षेत्र में दिया गया है ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़े विस्तार से कहना चाहूंगा, क्योंकि यह जानना आवश्यक है कि सरकार किस प्रकार से पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रही है । ... (व्यवधान) इस अमेंडमेंट एक्ट को लाने के तीन प्रमुख कारण हैं । पिछले 20 वर्षों में हमने बायोलॉजीकल डायवर्सिटी एक्ट के लागू होने के बाद अनेक तरह के जमीन में उभरने वाली समस्याओं को देखा है । इसलिए, यह आवश्यक था कि बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए उसके जो कम्पोनेंट्स हैं, उसके सस्टेनेबल यूज के लिए तथा फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग, विशेष रूप से जो बेनिफिट शेयरिंग वाले वलनरेबल कम्युनिटी के लोग हैं, उनको प्रदान करने के लिए ये संशोधन किए जाने आवश्यक थे ।... (व्यवधान) इसलिए, जब इस बिल को यहां पर रखा गया तो सदनों की संयुक्त संसदीय समिति को यह बिल दिया गया । मैं इस बात के लिए संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल जी और उनके नेतृत्व में जितने भी सदस्यों ने भाग लेकर इस संशोधन के लिए सुझाव दिए, वे सार्थक रहे । इसलिए, मैं संसदीय समिति को इस कार्य के लिए बधाई देना चाहूंगा । ... (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम अपने देश में इज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं । सरकार बनने के बाद माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय बना और आयुष मंत्रालय में निश्चित रूप से बायोडायवर्सिटी के पदार्थों का किस प्रकार से उपयोग किया जाए और भारतीय आयुर्वेदिक पद्धतियों को किस प्रकार से बढ़ाया जाए उसके लिए कार्य किया गया है ।... (व्यवधान) इसलिए, इस क्षेत्र में अनुसंधान हो, सहयोग हो और ऐकडेमिक सहयोग हो, उसके लिए इस बिल में अमेंडमेंट्स किए गए हैं । सबसे बड़ी बात है कि हमने डिक्रिमिनलाइजेशन करके कम से कम आयुष और आयुर्वेद के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनको राहत दी है । ... (व्यवधान) देश में इज ऑफ डूइंग बिजनेस और इज ऑफ लिविंग का जो माहौल माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में बना है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य इस बिल के अमेंडमेंट के द्वारा किया जा रहा है । ... (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी इस विषय को आपके सामने रखा है। संसदीय समिति की रिपोर्ट में भी व्यापक रूप से इसके स्टेक होल्डर्स से, सरकारों से और ऐकडेमिक लोगों से विशेष रूप से बहुत बड़ा विचार-विमर्श हुआ है। … (व्यवधान) उन सारे पहलुओं को संसदीय समिति ने स्वीकार किया है। इसलिए, मैं सदन से यह आग्रह करना चाहूंगा कि वह इस बिल को पारित करे। धन्यवाद। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि जैव विविधता अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

… (व्यवधान)

Clause 2 Amendment of Preamble

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

… (व्यवधान)

Clause 3 Amendment of Section 2

माननीय सभापति: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 13 से 15 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: डॉ. आलोक कुमार सुमन जी, क्या आप संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 37 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी क्या आप संशोधन संख्या 46 और 47 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4 और 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 6 Substitation of new section for section 4

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : डॉ. आलोक कुमार सुमन जी, क्या आप संशोधन संख्या 30 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

<u>खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

Clause 8 Amendment of Section 6

माननीय सभापति : डॉ. आलोक कुमार सुमन जी, क्या आप संशोधन संख्या 31 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

Clause 9 Substitation of new section for section 7

<u>संशोधन किये गये :</u>

पृष्ठ 4, पंक्ति 44-45 के स्थान पर रखें –

"(2) कृषित औषधि पौधों के मामले में, उपधारा (1) के अधीन छूट तभी उपलब्ध होगी यदि उत्पत्ति का प्रमाणपत्र ऐसी रीति में जो विहित की जाए, जैव विविधता प्रबंध समिति से प्राप्त किया गया हो:

(3) जैव विविधता प्रबंध समिति, ऐसी रीति में रखी गई ऐसी बहियों में की गई प्रविष्टियों के आधार पर ऐसी रीति में जो विहित की जाए, उपधारा (2) के अधीन उत्पत्ति का प्रमाणपत्र जारी करेगी।"।' (3)

पृष्ठ 5, पंक्ति 1 से 4 का लोप करे। (4)

(श्री भूपेन्द्र यादव)

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : डॉ. आलोक कुमार सुमन जी, क्या आप संशोधन संख्या 32 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 38 और 39 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी, क्या आप संशोधन संख्या 48 और 49 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 10 Amendment of Section 8

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 17 से 19 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : डॉ. आलोक कुमार सुमन जी, क्या आप संशोधन संख्या 33 और 34 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 40 और 41 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी, क्या आप संशोधन संख्या 50 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 51 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : एडवोकेट ए.एम. आरिफ जी, क्या आप संशोधन संख्या 57, 59 और 61 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री बैन्नी बेहनन जी, क्या आप संशोधन संख्या 58 और 60 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 से 13 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 14 Amendment of Section 15

माननीय सभापति : डॉ. आलोक कुमार सुमन जी, क्या आप संशोधन संख्या 35 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 52 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 14 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 16 Amendment of Section 18

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : एडवोकेट ए.एम. आरिफ जी, क्या आप संशोधन संख्या 62 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 18 Amendment of Section 20

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 18 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

<u>खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

Clause 19 Amendment of Section 21

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 53 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 19 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

Clause 20 Amendment of Section 22

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 22 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 42 और 54 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 20 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

Clause 21 Amendment of Section 23

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 23 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : डॉ. आलोक कुमार सुमन जी, क्या आप संशोधन संख्या 36 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 43 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 21 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 22 Amendment of Section 24

संशोधन किये गये:

पृष्ठ 9, पंक्ति 35 में, "उपधारा 3" के स्थान पर "उपधारा (2) और उपधारा (3)" रखें।

(5)

पृष्ठ 9, पंक्ति 37 "(3)" के स्थान पर "(2)" रखें। (6)

पृष्ठ 9, पंक्ति 44 में, "(4)" के स्थान पर "(3)" रखें। (7)

(श्री भूपेन्द्र यादव)

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 22, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 22, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 23 से 25 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 26 Insertion of new Section 36A and 36B

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 24 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 55 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 26 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 27 Amendment of Section 37

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 25 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 56 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 27 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 28 से 37 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 38 Substitation of new section 55

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 14, पंक्ति 30 में, "की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख)" का लोप करें।

(8)

(श्री भूपेन्द्र यादव)

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 26, 27 और 28 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 38, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 38, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 39 से 41 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 42 Amendment of Section 62

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 16, पंक्ति 9-10 के स्थान पर रखें –

"(क) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन उत्पति का प्रमाणपत्र प्राप्त करने की रीति";

(कक) बहियां जिनके आधार पर उत्पति का प्रमाणपत्र जारी किया जाना है, धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन ऐसी बहियों को रखने की रीति और ऐसे प्रमाणपत्र को जारी करने की रीति;"। (9)

पृष्ठ 16, पंक्ति 11 में, "(कक)" के स्थान पर "(कख)" रखें। (10)

(श्री भूपेन्द्र यादव)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 42, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

<u>खंड 42, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।</u>

<u>खंड 43 विधेयक में जोड़ दिया गया ।</u>

Clause 1

<u>संशोधन किया गया:</u>

पृष्ठ 1, पंक्ति 4 "2022" के स्थान पर" 2023" रखें । (2)

(श्री भूपेन्द्र यादव)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

<u>खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।</u>

... (व्यवधान)

अधिनियमन सूत्र

<u>संशोधन किया गया:</u>

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 "तिहत्तरवें "के स्थान पर "चौहत्तरवें" रखें । (1)

(श्री भूपेन्द्र यादव)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए।

श्री भूपेन्द्र यादव: सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्लीज बैठिए।

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please cooperate with the Chair.

... (*Interruptions*)

माननीय सभापति: चर्चा होगी तो उत्तर मिलेगा। बिना चर्चा के उत्तर प्राप्त नहीं हो सकता है।

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

माननीय सभापति: आप चर्चा होने दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही 5 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.43 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Seventeen of the Clock.

17.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Seventeen of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 18.

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष जी ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्यों?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : विषय यह है कि कल सुबह मैं आपको विषय रखने दूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब मैंने व्यवस्था दे दी है, तो व्यवस्था दे दी है। व्यवस्था बदली नहीं जाती है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 18, माननीय मंत्री जी।

…(व्यवधान)

17.01 hrs

MULTI-STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2022*

As Reported By Joint Committee

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, पर विचार किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, पर विचार किया जाए।"

…(व्यवधान)

17.01½ hrs

At this stage, Shri Gaurav Gogoi, Shri Kalyan Banerjee and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार रखने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।…(व्यवधान) बदले हुए विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका और फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हुए भारत के कदम को आधारभूत करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों में प्रगति का एक रोड मैप बनाया है।…(व्यवधान) उस रोड मैप को बनाते वक्त छोटे किसानों की चिंता, छोटे व्यवसाय की चिंता और उसके साथ-साथ रेहड़ी-पटरी वालों की भी चिंता करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है।…(व्यवधान) मुझे बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि मोदी जी की सरकार ने, जो वर्षों से छोटे किसान, गरीब और गांव एवं छोटे

---

* Moved with the recommendation of the President.

व्यवसायी जिसका प्राण रहे हैं, ऐसी सहकारी संस्थाओं को मजबूती देने के लिए यह बहुराज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक को लाया गया है ।…(व्यवधान) इस देश में करीब आठ लाख कोऑपरेटिव सहकारी मंडलियां हैं ।…(व्यवधान) पूरे देश में 1600 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सहकारी मंडलियां हैं ।…(व्यवधान) जिनमें से 570 मंडलियां महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार, माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय सहकारिता मंत्री, अमित शाह जी के प्रति बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने इस क्षेत्र के महत्व को समझा और न केवल महत्व को समझा बल्कि उपाय-योजना करते हुए, जब से यह सहकारिता मंत्रालय स्थापित हुआ है, तब से महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादकों को बहुत राहत मिली है । यहां गन्ना उत्पादक किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग है । 21 हजार प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटियों को पूरी तरह से राहत देने के लिए बहुत सालों से जो इनकम टैक्स का प्रावधान था, जिसमें एक बड़ी राहत देने की घोषणा, हमारी सरकार ने की है ।…(व्यवधान) इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय सहकारिता मंत्री जी का आभारी हूं ।…(व्यवधान) इसके साथ-साथ वर्षों से जिन निवेशकों ने अपना पैसा गंवाया था, ऐसे सहारा सहकारी मंडली में भी पैसा वापस देने के लिए सहारा, सहकारी रिफंड पोर्टल का भी प्रारंभ इस सरकार ने किया है । इसके लिए मैं सरकार का आभारी हूं ।…(व्यवधान) इसके साथ-साथ अगर आप इस बिल के प्रावधान देखेंगे, तो जो ये सारे निर्णय हैं, ये सहकारी मंडलियों के ऊपर या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के ऊपर बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर छोटे गांव से लेकर मध्यम शहरों तक इन सहकारी मंडलियों के माध्यम से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, दूध उत्पादन के क्षेत्र में, शुगर के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में ये मंडलियां कार्यरत थीं । लेकिन इन मंडलियों के ऊपर मल्टी स्टेट के लाइसेंस होने के साथ-साथ किसी तरीके का अंकुश रखने का प्रावधान नहीं होने के कारण बहुत सारी मंडलियों के अंदर घोटाले के मामले पाए गए । इन घोटालों के मामलों के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए इस सहकारी क्षेत्र में आम जनता का विश्वास बना रहे, इसलिए यह सहकारी अमेंडमेंट बिल लाया गया है, जिसके अंदर सरकार अपनी भूमिका तय कर रही है ।… (व्यवधान) सरकार की यह भूमिका इन सहकारी

मंडलियों में, क्योंकि अगर हमें फाइव ट्रिलियन की इकोनॉमी पर जाना है, तो बड़े-बड़े उद्योगों के साथ में सहकार का भी अपना एक महत्व है, यह हमारी सरकार ने समझा है ।… (व्यवधान) इसलिए सहकार के महत्व को जताने के लिए और सहकार के अंदर तथा जनमानस के अंदर विश्वास बढ़ाने के लिए इस बिल को लाया गया है ।… (व्यवधान) न केवल सुचारू ढंग से इन सहकारी मंडलियों का संचालन हो, अपने आप में पारदर्शी और सेल्फ-रिलायंट ये सहकारी मंडलियां हो जाएं, इसके लिए इस बिल का उपयोग होना है ।… (व्यवधान) प्रोफेशनल तरीके से नए वातावरण में पनपने के लिए, एक नया उच्चांक लेने के लिए इस सहकारी बिल की और सहकारी मंडलियों को सक्षमीकरण की आवश्यकता थी, जिसके सारे प्रावधान इस बिल के अंदर किए गए ।… (व्यवधान) मैं कुछ बिन्दुओं के ऊपर अपने विचार रखूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत बार इन सहकारी मंडलियों में डिफॉल्ट करने वाले डायरेक्टर अपने-अपने तरीके से यहां पर डिफॉल्ट करते थे, लोगों के पैसे का गबन करते थे और दूसरी सहकारी मंडली स्थापित करके या दूसरी सहकारी मंडली में जाकर वह चुनाव लड़ते थे ।… (व्यवधान) इस बिल के प्रावधान के कारण उनके ऊपर प्रतिबंध लगेगा । अगर एक सहकारी मंडली में किसी ने घोटाला किया है तो वह दूसरी सहकारी मंडली में सदस्य या डायरेक्टर पद पर नहीं जा पाएगा ।… (व्यवधान) इस बिल के अंदर यह सबसे बड़ा प्रावधान किया गया है । इसके साथ-साथ इस बिल को सक्षमीकरण देने के लिए हमने देखा था कि पहले डायरेक्टर अपने सगे-संबंधियों को लाभ के पदों पर या इन सहकारी मंडलियों में सीईओ की पोस्ट पर या अलग-अलग पोस्ट पर रखता था । … (व्यवधान) इस बिल के आने के बाद यह भी प्रावधान किया गया है कि वह अपने सगे-संबंधियों को, उसकी बड़ी व्याख्या की गई है और 20-22 तरीके के सगे-संबंधी बताये गए हैं, न केवल चाचा-मामा, बल्कि आने वाले दिनों में अपनी पत्नी के रिश्तेदारों को भी डायरेक्टर यहां पर नौकरियां नहीं दे पाएगा । … (व्यवधान) ऐसा प्रावधान इस बिल में किया गया है और उस पर अंकुश लगाने का काम किया गया है । मैनेजमेंट को प्रोफेशनल तरीके से बैंकिंग एक्सपर्ट, प्रोफेशनल एक्सपर्ट, कोऑपरेटिव के जानकर व्यक्तियों ने एससी, एसटी और महिलाओं के अधिकार को भी अबाधित रखने के लिए इस

बिल में प्रावधान किया गया है ।... (व्यवधान) कोऑपरेटिव इनफॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति के कारण सदस्यों को जब-जब जानकारी चाहिए, तो वह जानकारी लेने का काम भी इस कोऑपरेटिव इनफॉर्मेशन ऑफिसर के माध्यम से हो सकता है ।... (व्यवधान) सेल्फ-सफिशिएंट तरीके से सही मायने में इस बिल का जो बड़ा पॉइंट है, तो इस बिल में ऐसी व्यवस्था है कि इसके अंदर Co-operative Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund का प्रोविजन किया गया है ।... (व्यवधान) जो सिक या बीमारू कोऑपरेटिव मंडलियां रहेंगी, उनको अच्छे तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए, उनको अच्छे तरीके से पुनर्व्यवसाय में लाने के लिए इस बिल में इस फंड की व्यवस्था की गई है ।... (व्यवधान) इस देश में यह पहली बार हुआ है कि सहकारी क्षेत्र के अंदर निवेशकों का ध्यान रखने के लिए, सहकारी मंडली के सदस्यों का ध्यान रखने के लिए सरकार ने एक फंड की घोषणा की है, जिसके कारण कोऑपरेटिव बैंक से लेकर सभी जगहों पर छोटे निवेशकों का जो हित बाधित होता है, सरकार उसकी चिंता कर रही है ।... (व्यवधान) इस बिल के अंदर यह सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने उन छोटे निवेशकों की इन सहकारी मंडली के सदस्यों की चिंता की है, जिसके कारण ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू । आप दो मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए ।

... (व्यवधान)

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2022.

I will just put ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : लावू जी, एक मिनट रुकिये । माननीय सदस्य, आप अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए ।

... (व्यवधान)

श्री मनोज कोटक : अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि इस बिल के अंदर जिस तरह के प्रावधान का उपयोग किया गया है या जिस तरह के प्रावधान रखे गए हैं, सहकारी क्षेत्र के अंदर जो पूरे देश में एक अलग तरीके का वातावरण बनाने की मोदी जी की सरकार की योजना है, उसका पूरा समर्थन करने का प्रावधान इस बिल के अलग-अलग प्रावधानों में किया गया है।... (व्यवधान) मुझे लगता है कि इस सदन में सभी को इस बिल का समर्थन करते हुए भारत के अंदर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जब हम जा रहे हैं, तो सहकार एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। सहकारी मंडलियों को समर्थन देने के लिए सरकार की इस योजना के तहत इस बिल का सभी समर्थन करें, ऐसा मेरा विश्वास है।... (व्यवधान) बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण बिल है। आप लोग अपनी-अपनी सीट्स पर जाएं, अपने विचार व्यक्त करें। सहकारिता के माध्यम से हम लोग देश में आर्थिक परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, इसलिए मैं पुन: आग्रह करता हूँ कि आप लोग अपनी-अपनी सीट्स पर जाएं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह तरीका अपनाना छोड़ दें। मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय नेता, आप इनको समझा दीजिए। सदन में इस तरह से करना मर्यादित तरीका नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू ।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Thank you Sir, thank you for allowing me to speak on Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2022. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यदि आप मर्यादा तोड़ेंगे, तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी।

… (व्यवधान)

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Thank you Sir, thank you for allowing me to speak on Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2022.

The cooperative movement has been the backbone of this country. It has developed a lot of village economy and also propelled many of the State economies forward. … (*Interruptions*)

Coming to this Bill, there are many good things. I want to start with the addition of Members from the SC/ST community and also the women Members in this Board. Also, the second one is with regard to Section 45 – establishment of cooperative election authority wherein it ensures that elections take place regularly rather than having a board without any elections. … (*Interruptions*)

With respect to Section 63A, establishment of cooperative rehabilitation, reconstruction development fund is a good move. But there are three suggestions that we have on this Bill. The first one is with respect to Section 63A. It is an addition of new point for sick cooperatives. Already from profits, 25 per cent is paid as tax, another 25 per cent is used as statutory reserve, 10 per cent is used as bad debts reserve and one per cent is used for education. This is almost 61 per cent. On top of that, another one per cent is being levied for the sick cooperatives. So, I hope that you will find some creative method so that we bring this one per cent from some other ways rather than actually taxing again the cooperatives for the sick cooperatives. … (*Interruptions*)

The second thing is with regard to banking regulation. It has been included in this. I request the hon. Minister that banking regulation should be confined to the banking regulatory activities and not to be applied for incorporation, regulation and winding up of these cooperatives. … (*Interruptions*) With respect to the third thing, there is a Central Registrar that has been included in this. He has wide range of powers. He can declare any multi-State Cooperative Society as ailing and take it up. So, with these many powers, we do not want the Central Registrar to be someone who can exercise these extreme powers wherein no one can go for any redressal. … (*Interruptions*)

With regard to clause 45 of Section 123, giving powers to the Union to appoint an administrator who may not be the Member of this society, again we have some objections on this issue. So, I hope the Minister will look into it. The request from our side is we want the cooperative movement to be governed and guided by the Union Government and not to be directed and not to be over-reached by the Union Government. It has to be hand-held by the Union Government. Then, this cooperative movement can move forward. It is good to see at least after 75 years that a Cooperative Minister has been appointed. … (*Interruptions*)

Thank you very much.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप बोलना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री सदाशिव लोखंडे।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री रामशिरोमणि वर्मा।

… (व्यवधान)

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बहुराज्य सहकारी सोसायटीज (संशोधन) विधेयक, 2022 पर अपने विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ।… (व्यवधान)

महोदय, जैसा कि ज्ञात है, यह संशोधन विधेयक लाने का आशय यह है कि कुछ बहुराज्य सहकारी समितियों में अनियमितताओं से संबंधित होने वाली घटनाओं का निवारण कैसे किया जाए, उदाहरण के रूप में वित्तीय गबन, सहकारी समितियों में चुनाव कराने में विलम्ब और विवाद, लेखापरीक्षकों का पक्षपातपूर्ण चयन, भर्तियों में पक्षपात, प्रतिभागिता की कमी को रोकने के लिए मैं, इस बहुराज्य सहकारी (संशोधन) विधेयक, 2022 का स्वागत करता हूँ।… (व्यवधान)

किसी बहुराज्य सहकारी समिति को परिचालन से पहले उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। … (व्यवधान) इस पंजीकरण में घोर भ्रष्टाचार के चलते अनेकों कमियों को बताते हुए अधिकारियों द्वारा पंजीकरण विलंब से किया जाता है, जिससे सोसाइटी, जो व्यापार करने के उद्देश्य से आई हैं, उनको तरह-तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। … (व्यवधान)

बहुराज्य सरकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 में पूर्ण रूप से सोसाइटी के बोर्ड की संरचना में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट का प्रावधान है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था देने का प्रावधान है, इसलिए, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। … (व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण बिल के ऊपर मुझको बोलने का मौका दिया। … (व्यवधान) मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है, जिसकी अपनी अलग पहचान है। … (व्यवधान) हमारे देश के अंदर सहकारिता का इतिहास करीब 125 वर्ष पुराना है। … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य यह है कि हम जिस प्रदेश से आते हैं, वहां आजादी के बाद से, जब से सहकारिता का हिसाब-किताब चला है, जो भी दल आया, उसने राजनीतिक रूप से इसका उपयोग किया और सहकारिता को नुकसान पहुंचाने का काम किया। … (व्यवधान) हमारी सरकार के आने के बाद, मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इसमें भारी परिवर्तन किए और वर्ष 2022 में परिवर्तन के माध्यम से The Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Bill लाने का काम किया है। … (व्यवधान) उन्होंने सहकारी बैंकों को एक सही दिशा में ले जाने का काम किया है। … (व्यवधान) वास्तव में इस बिल के माध्यम से पारदर्शिता भी आएगी और जैसा कि हमारी जानकारी में आया है कि अब सूचना अधिकारी, सहकारी लोकपाल जैसे प्रावधान हुए हैं। … (व्यवधान) इसके माध्यम से अब सहकारी बैंक सही ढंग से काम करेंगी और उत्तर प्रदेश के अंदर भी यह सहकारिता का आंदोलन सही ढंग से काम करेगा। … (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं स्वयं इस सहकारिता आंदोलन से जुड़ा हूं। … (व्यवधान) इसलिए, मैं इतना जानता हूं कि देश के अंदर सहकारी समितियां, जो कार्यरत हैं, अब उनमें पारदर्शिता भी नजर आ रही है और मैं अपने जिले में देखता हूं कि वास्तव में किस प्रकार से अनियमितताओं को हमारी सरकार के माध्यम से दूर करने का काम हो रहा है। … (व्यवधान) अत: मैं एक बार फिर से आपके माध्यम से आदरणीय प्रधान मंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस गंभीर मुद्दे की ओर ध्यान दिया। … (व्यवधान) अब सहकारी आंदोलन देश के अंदर सहकारी सोसाइटियों की एक अलग पहचान बनाने का काम करेगा। … (व्यवधान) अब एक सही दिशा में काम होगा, ऐसा हमारा मानना है। … (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से सरकार को इस क्षेत्र के लिए काम करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। … (व्यवधान) धन्यवाद।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी – क्या आप बोलना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी जी – क्या आप बोलना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या अन्य कोई माननीय सदस्य बोलना चाहता है?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी – आप बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, आज इस बिल पर दो-तीन सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। … (व्यवधान) मैं अपने मंत्रालय की ओर से इन सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस महान सदन के सामने एक महत्वपूर्ण बिल लेकर आया हूं, जो न केवल बहुराज्य सहकारी समितियों को, परंतु उनको as a concept स्वीकार करते हुए प्राथमिक सहकारी समितियों और राज्य की सहकारी समितियों में भी एक प्रकार के संस्कार और कार्य संस्कृति की निर्मिति करेगा। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, जब से देश आजाद हुआ है, तब से सहकारी क्षेत्र के अंदर काम करने वाले सभी कार्यकर्ता यह चाहते थे कि सहकारी क्षेत्र को केंद्र सरकार की ओर से तवज्जो दी जाए। सहकारी क्षेत्र को तवज्जो देने के लिए भारत सरकार में अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया जाए। … (व्यवधान) मैं आज देश भर की 8 लाख सहकारी समितियों, करोड़ों किसानों और 60 करोड़ ग्रामीण गरीबों की ओर से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की।… (व्यवधान)

महोदय, सहकारिता क्षेत्र हमारे देश में लगभग 120 साल पुराना है और सहकारिता क्षेत्र ने कई ऐसे महत्वपूर्ण उपक्रम देश को नजीर किए हैं, जो आज लाखों-लाखों लोगों को रोजगारी दे रहे हैं।… (व्यवधान) मैं कुछ उदाहरण जरुर देना चाहूँगा।… (व्यवधान) अमूल हमारे गुजरात का एक सहकारी उपक्रम है।… (व्यवधान) जो दुग्ध उत्पादकों का, राज्य सरकार का फेडरेशन है।… (व्यवधान) उसमें

आज 36 लाख बहनें हर रोज दूध देकर 58 हजार करोड़ रुपये का व्यापार करती हैं ।... (व्यवधान) मैं इस बात पर भी सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि 58 हजार करोड़ रुपये के व्यापार वाला जो यह उपक्रम है, इस उपक्रम में किसी ने 100 रुपये से ज्यादा पूँजी नहीं लगायी है ।... (व्यवधान) सिर्फ 100 रुपये की पूँजी से 58 हजार करोड़ रुपये का उपक्रम बना है ।... (व्यवधान) इसी तरह से कृभको, इफको है, पहले लिज्जत था ।... (व्यवधान) इस प्रकार कई बड़े-बड़े उपक्रम देश में सहकारिता के माध्यम से चले हैं ।... (व्यवधान) परन्तु विगत 75 सालों में न सहकारिता आन्दोलन पर कोई ध्यान दिया गया, न उसके कानूनों में पुन: रचना की सार्वजनिक रुप से चर्चा हुई, न देश की संसद में राष्ट्रीय स्तर पर, न राज्य स्तर पर सहकारिता आन्दोलन को बदलने के लिए मंथन किया गया। मोदी जी के नया सहकारिता मंत्रालय बनाने के बाद, मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि आने वाले 25 साल में, मतलब, जब देश आजादी की शताब्दी मना रहा होगा, तब सहकारिता आन्दोलन फिर से पुरजोर तरीके से देश के विकास में अपना योगदान देगा ।... (व्यवधान)

महोदय, पिछले दो सालों में सहकारिता आन्दोलन में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है ।... (व्यवधान) सबसे पहला काम पैक्स में हुआ है ।... (व्यवधान) जो पैक्स सहकारिता आन्दोलन की आत्मा होती है, उस पैक्स को पुनर्जीवित करना, उस पैक्स को वायबल करना, पैक्स के अंदर पारदर्शिता लाना और पैक्स को बहुआयामी, मल्टिडाइमेंशनल बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं ।... (व्यवधान) अगर पैक्स में पारदर्शिता लानी है, पैक्स को आधुनिक बनाना है तो उसकी सबसे पहली जरुरत कम्प्यूटराइजेशन की थी ।... (व्यवधान)

महोदय, इस मंत्रालय के बनने के बाद पहला कैबिनेट नोट मोदी जी ने हमारे मंत्रिमंडल में अप्रूव किया और 63 हजार पैक्स को 2516 करोड़ रुपया देकर संपूर्ण भारत के पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन करने का काम किया ।... (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूँ कि पैक्स के कम्प्यूटराइजेशन से पैक्स डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक्स के साथ जुड़ेंगे,... (व्यवधान) स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स के साथ जुड़ेंगे और साथ में नाबार्ड के साथ भी सीधा उनका जुड़ाव हो जाएगा।

… (व्यवधान) ऑडिट की प्रक्रिया संपूर्ण रुप से ऑनलाइन होगी और सिस्टम इंटीग्रेटर फाइनल होने के बाद पैक्स कई प्रकार के नए व्यवसायों से जुड़ेंगे, जिससे इसकी वायबिलिटी में बहुत बड़ा फायदा होगा।… (व्यवधान)

महोदय, हमने तीसरा काम यह किया है कि पैक्स के लिए एक मॉडल बायलॉज बनाकर सभी राज्यों को भेजा है।… (व्यवधान) जैसे पैक्स राज्य सरकार के सहकारिता कानून में आते हैं, परन्तु सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स के लिए मॉडल उपविधियां बनायीं।… (व्यवधान)

सभी राज्यों को इन्हें एडवाइजरी के रूप में भेजा। मुझे आनंद है कि बंगाल और केरल को छोड़कर सभी राज्यों ने इसे स्वीकार कर लिया है और आज देश भर के पैक्स एक ही बायलॉज कानून से चल रहे हैं।… (व्यवधान) पैक्स अब डेयरी भी बन पाएंगे, पैक्स अब मछुआरा समिति भी बन पाएंगे और पैक्स ढेर सारे काम करेंगे। हमने एफपीओ, जो पहले प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, पार्टनरशिप कम्पनी और प्रोपराइटरशिप तक सीमित था, अब पैक्स एफपीओ का भी काम करेगा और ग्यारह सौ पैक्स एफपीओ के नाम से रजिस्टर हो जाएंगे।।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी ने एक प्रकार से 13 करोड़ गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया है। ढेर सारे सिलेंडर देने के कारण बहुत सारी वितरण करने वाली संस्थाओं की जरूरत उठ खड़ी हुई है और पैक्स नए बायलॉज के हिसाब से एलपीजी के वितरण का काम कर पाएंगे। मोदी जी देश के साठ करोड़ गरीबों को प्रति माह प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं।… (व्यवधान) इस रिटेल आउटलेट पर भी अब पैक्स का अधिकार होगा और पैक्स रिटेल आउटलेट भी कर पाएंगे। नरेन्द्र मोदी जी ने साठ करोड़ लोगों के लिए जेनरिक दवाइयों की दुकानें खोली हैं, जिन्हें 'जन औषधि केंद्र' के नाम से पूरा देश जानता है। ये 'जन औषधि केंद्र' पहले पैक्स नहीं चला पाते थे, लेकिन अब पैक्स 'जन औषधि केंद्र' भी चला पाएंगे।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, रुपे क्रेडिट कार्ड पहले पैक्स और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के लिए नहीं था, अब विगत महीने जो निर्णय हुआ है, उससे रुपे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, दोनों पैक्स के मेम्बरों को दिए जाएंगे।… (व्यवधान) मोदी जी ने साठ करोड़ गरीबों के लिए हर घर में 'नल से जल'

का कार्यक्रम किया है। 'नल से जल' तो घरों में पहुंचाएंगे, मगर इस सिस्टम को अगर नियमित रूप से कोई मेनटेन नहीं करता है, तो जल आपूर्ति अबाध तरीके से नहीं चल सकती है। जल आपूर्ति को अबाध तरीके से चलाना है तो पानी समिति चाहिए, जो गांव के पानी के वितरण की व्यवस्था को मेनटेन करे। पैक्स एक पानी समिति बनकर वितरण की व्यवस्था का भी काम करेंगे।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ-साथ पैक्स को हमने भंडारण क्षमता के साथ भी जोड़ने का काम किया है और अब पैक्स भंडारण का भी काम करेंगे, जिन्हें एफसीआई किराये पर लेगी। इससे गांव के अनाज का गांव में ही भंडारण होगा और गांव में ही सब गरीब लोगों को वितरित किया जाएगा। इससे पैक्स को एक नए प्रकार की इनकम का फायदा होने वाला है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, गत बजट में सहकारिता संबंधी घोषणाओं के लिए मैं माननीय मोदी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। सालों से सहकारिता के साथ जो अन्याय होता था, कोऑपरेटिव और कॉरपोरेट दो अलग टैक्स थे। मोदी जी ने और वित्त मंत्री जी ने गत बजट में सहकारिता समितियों और कॉरपोरेट कम्पनियों के टैक्स को एक प्लेटफार्म पर लाने का काम किया है। सहकारी समितियों के आय कर पर लगने वाले अधिभार में कटौती कर दी गई है। आय कर अधिनियम की धारा 269 एसटी के तहत 2 लाख रुपये से अधिक नकद लेनदेन की भी परमिशन दी है, जो पहले 20 हजार रुपये थी।… (व्यवधान) सहकारी बैंकों को जो कठिनाइयां होती थीं, मैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करता हूं, इसे वन टाइम सेटलमेंट करने का अधिकार अब राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह ही कोऑपरेटिव बैंकों को दे दिया गया है। इसके साथ-साथ, यदि दस प्रतिशत नई ब्रांचेज खोलनी हैं, तो रिजर्व बैंक की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, पीएसएल लक्ष्यांकों के प्रति भी समय सीमा तीन साल तक बढ़ाने का काम किया है, जिससे अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को बहुत बड़ा फायदा होगा।… (व्यवधान) आरबीआई में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की समस्याओं के लिए एक नोडल अधिकारी को भी नामित किया गया है।… (व्यवधान)

आरबीआई ने 'डोरस्टेप बैंकिंग' के लिए अब नेशनलाइज्ड और प्राइवेट बैंकों के साथ-साथ को-ऑपरेटिव बैंकों को भी परमिशन दे दिया है, जिससे अब वे 'डोरस्टेप' सेवाएं भी दे पाएंगे ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के किसान अपने गन्ने को को-ऑपरेटिव मिलों में भेजते हैं, मगर, जब गन्ने के मिल का नफा किसान के पास जाता था, तब उस पर 30 प्रतिशत इनकम टैक्स काटा जाता था और किसान के गाढ़े पसीने की कमाई इनकम टैक्स में चली जाती थी ।… (व्यवधान) मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने किसान को दिए जाने वाले मुनाफे पर से टैक्स को पूर्णतया हटा दिया… (व्यवधान) यह टैक्स सिर्फ हटा दिया गया, इतना ही नहीं है, बल्कि पूर्व में जो टैक्स दिया जाना था, उसके 10,000 करोड़ रुपये से 15,000 करोड़ रुपये तक राहत देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, तीन नयी बहुराज्यीय को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई है । पहली बहुराज्यीय को-ऑपरेटिव सोसाइटी किसान की उपज को निर्यात करने के लिए प्लेटफॉर्म के नाते काम में आएगी ।… (व्यवधान) अगर उस उपज के प्रोडक्ट को, क्रॉप को डायवर्सिफाई करना है तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में जाना पड़ेगा, परन्तु, किसानों के पास न इतनी क्षमता थी, न इतना ज्ञान था, न इतनी पूंजी थी ।… (व्यवधान) अगर किसान इन सबको पैदा करता है, तब भी वह एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था ।… (व्यवधान) अगर कोई किसान जीरे का उत्पादन करता है तो वह उसका एक्सपोर्ट नहीं कर पाता था ।… (व्यवधान) अगर वह लौंग का उत्पादन करता है तो वह उसका एक्सपोर्ट नहीं कर पाता था ।… (व्यवधान) अगर वह इलायची उत्पन्न करता है तो वह उसका एक्सपोर्ट नहीं कर पाता था ।… (व्यवधान) एक किसान का 100 किलोग्राम से ज्यादा जो भी मैटेरियल होगा, उसे एक्सपोर्ट करने का प्लेटफॉर्म यह निर्यात सोसायटी बनेगी और क्रॉप डायवर्सिफिकेशन में यह बहुत महत्वपूर्ण होगी ।… (व्यवधान)

महोदय, इसके साथ-साथ हमने एक और सहकारी समिति बनाई है, जो बीजों के उत्पादन में छोटे किसानों को जोड़ेगी ।… (व्यवधान) अब तक बीज के उत्पादन में बड़े किसान ही जुड़ पाते थे,

परन्तु अब प्राथमिक सहकारी समिति के माध्यम से यह बहुराज्यीय बीज उत्पादक सहकारी समिति एक एकड़ या आधे एकड़ के किसान को भी बीज उत्पादन से जोड़ेगी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ वह सहकारी समिति सारी फॉर्मैलिटीज़ करेगी ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी ने खाद के प्रयोग को कम करके करोड़ों हिन्दुस्तानियों और दुनिया भर के स्वास्थ्य को ठीक करने का बीड़ा उठाया है, धरती के स्वास्थ्य को भी ठीक करने का बीड़ा उठाया है, इसलिए अब ऑर्गेनिक क्रॉप बढ़ रहा है, प्राकृतिक खेती बढ़ रही है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम हो रहा है ।… (व्यवधान) आज किसान प्राकृतिक खेती तो करता है, मगर उसको उसके प्रोडक्ट्स का उचित दाम नहीं मिलता है, तो भारत सरकार ने एक नई सहकारी समिति बनाई है, जो देश और दुनिया में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करके किसानों को उचित भाव दिलाने का काम करेगी ।… (व्यवधान) हमने सहकारी को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ चीनी मिलों को एन.सी.डी.सी. के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये का लोन देकर इथेनॉल संयंत्र लगाने का भी फैसला किया है ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, सहकारी शिक्षण के लिए आने वाले दिनों में भारत सरकार एक को-ऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का बिल लाकर राष्ट्रीय स्तर पर नयी सहकारिता प्रशिक्षण का एक विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रही है, जो इन सारी गतिविधियों में आगे बढ़ेगा ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में सहकारिता का कोई डेटाबेस नहीं था ।… (व्यवधान) हमने तय किया कि आठ लाख समितियां और इसके साथ-साथ ड्राई एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, जहां पर सहकारी समिति नहीं है, इसे इंगित करने के लिए हम राष्ट्रीय स्तर पर एक सहकारी डेटाबेस बनाएंगे ।… (व्यवधान) यह राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बनाने का काम शुरू हो गया है ।… (व्यवधान) मुझे सदन को यह बताते हुए आनन्द हो रहा है कि इसका 95 प्रतिशत काम समाप्त हो गया है और इस विजयादशमी के पहले हम राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस को प्रधान मंत्री जी के हाथों से ऑनलाइन करने का काम करने वाले हैं ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2002 में अटल जी की नीति के बाद कभी सहकारी नीति नहीं आई। जब अटल जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तब सहकारी नीति आई थी। … (व्यवधान) वर्ष 2002 से वर्ष 2020 तक कभी भी सहकारी नीति नहीं आई।… (व्यवधान) हम विजयदशमी के पहले, ज्यादा से ज्यादा दीपावली के पहले नई राष्ट्रीय सहकारी नीति भी ले कर आएंगे, जो आने वाले 25 सालों का सहकारिता का मानचित्र समग्र देश और दुनिया के सामने रखेगा। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, हमने केंद्रीय पंजीयक कार्यालय को कंप्यूटराइज्ड करने का काम आरंभ किया है। … (व्यवधान) मैं आज आगे की कड़ी में एक विधेयक ले कर आया हूँ, जिस पर मैं बात करूंगा। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से समग्र देश को कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने इस देश के 7 करोड़ गरीबों को इन 9 सालों में गरीबी से मुक्त करने का बहुत बड़ा यज्ञ शुरू किया है। … (व्यवधान) कांग्रेस पार्टी का नारा था कि गरीबी हटाओ। … (व्यवधान) उन्होंने गरीबी नहीं हटाई। … (व्यवधान) गरीब को हटाने का काम किया। … (व्यवधान) गरीबी हटाने का काम इस देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। … (व्यवधान) मोदी जी ने इस देश के गरीबों को बैंक अकाउंट दे कर अर्थतंत्र के साथ जोड़ा। … (व्यवधान) नरेंद्र मोदी जी ने हर घर को गैस दे कर, महिलाओं को धुएं से बचाया। … (व्यवधान) मोदी जी ने हर गरीब को शौचालय दे कर महिलाओं का सम्मान किया। मोदी जी ने हर गरीब के घर में बिजली पहुंचा कर उसको उजाला देने का काम किया। मोदी जी ने हर गरीब को 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी।… (व्यवधान) मोदी जी ने हर गरीब को प्रति माह 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दे कर उसको कल क्या खाना है, इसकी चिंता से मुक्त कर दिया है। … (व्यवधान) मोदी जी ने वजीफा बढ़ा कर बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की और गांवों के अंदर सारी सुविधाएं कर दी। … (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, अब जरूरत है उनको रोज़गार देने की। … (व्यवधान) अध्यक्ष जी, जिसके पास पूंजी नहीं है, उसको रोज़गारी कैसे मिलेगी? … (व्यवधान) उसको रोज़गारी मिलने का एकमात्र ज़रिया है किसानी और कोऑपरेटिव मूवमेंट। … (व्यवधान) इस किसानी और कोऑपरेटिव मूवमेंट को ज्यादा सशक्त करने

के लिए नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता आंदोलन की मजबूती के लिए यह सहकारिता मंत्रालय बनाया है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं इस सदन के सामने जो बिल ले कर उपस्थित हुआ हूँ, अब मैं उसके बारे में बात करना शुरू करता हूँ। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में बहुराज्य सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी केंद्र का विषय है। … (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में यह बहुराज्य सहकारी समिति केंद्र का विषय है। … (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, सालों पहले 97वां संविधान संशोधन किया गया, मगर किसी ने उस 97वें संशोधन को लागू नहीं किया। … (व्यवधान) नरेंद्र मोदी जी ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पारदर्शिता, जवाबदेही और उसका मुनाफा बढ़े, इसलिए इस बिल को कैबिनेट से पारित किया है, जिसको आज मैं इस सदन के सामने ले कर आया हूँ। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज विधेयक लेकर आया हूं। …(व्यवधान) इसकी धारा 45 ए से लेकर 45एल निर्वाचन सुधारों के लिए है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां अक्सर फरियाद होती है कि सहकारिता में राजनीतिक हस्तक्षेप होती है।… (व्यवधान) सरकार किसी भी दल की हो, मगर राजनीतिक हस्तक्षेप की फरियाद होती हैं। अब हम 45ए से 45एल में एक प्रोविजन लेकर आए हैं। इसमें चुनाव आयोग बनाने का प्रोविजन है।… (व्यवधान) इसमें निर्वाचन प्राधिकरण बनाया जाएगा, जो स्वतंत्र रूप से चुनाव करेगा। इससे सरकारी दखल कम हो जाएगी। निर्वाचन प्राधिकरण के सभापति की जो शक्तियां हैं, वह लगभग चुनाव आयुक्त के समक्ष कर दी गई हैं। इसमें सरकार का दखल नहीं होगा। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, हमने इसके साथ-साथ तय किया है कि अगर बोर्ड की एक-तिहाई संख्या खाली हो जाती है, तो फिर से चुनाव कराना पड़ेगा।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, हम इसके साथ-साथ एक सुझाव लेकर आए हैं कि बोर्ड की बैठकों में अनुशासन और सरकारी समितियों के कार्यकलाप… (व्यवधान) इसकी धारा 50 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष

तथा बोर्ड के सदस्यों के तीन माह के अंदर एक बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिए कम्प्लशन करेगा ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, अगर उपसभापति या सभापति बोर्ड की मीटिंग नहीं बुलाते हैं तो हमने तय किया है कि सीईओ की जिम्मेदारी होगी कि वह बोर्ड की मीटिंग बुला ले ।... (व्यवधान) इससे मीटिंग्स नियमित रूप से हो जाएंगी । कई बार बहुमत खो देने की स्थिति में मीटिंग ही नहीं बुलायी जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे ।... (व्यवधान) सीईओ द्वारा मीटिंग बुलाने के लिए प्रावधान किया गया है ।... (व्यवधान) अगर तीन मास में मीटिंग बुलाई है और 50 परसेंट सदस्य लिखकर देंगे तो कम्प्लसरी मीटिंग बुलानी पड़ेगी ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, सहकारी सोसाइटी के प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए इक्विटी शेयरधारक के लिए बहुमत का प्रावधान भी हमने स्वीकारा है ।... (व्यवधान) सदस्यों में अनुशासन के लिए धारा 30 है ।... (व्यवधान) कोई भी सदस्य गैर रीति के कारण निष्कासित हुआ है, पहले वह पीछे चुनाव लड़ सकता था, लेकिन अब तीन साल तक वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, हमने इन सहकारी समितियों में एक एससी या एक एसटी और दो महिलाओं को रिजर्वेशन देने का काम किया है ।... (व्यवधान) इससे सहकारिता के अंदर एससी, एसटी और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, निर्देशक बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए कनकरेंट ऑडिट की हमने व्यवस्था की है । अगर जैसे 500 करोड़ रुपये से ज्यादा जिसका टर्न ओवर है, तो उन सारी सहकारी समितियों को कम्प्लसरी कनकरेंट ऑडिटर रखना पड़ेगा और वह ऑडिटर CRCS की पैनल से ही रखना पड़ेगा ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, अगर बोर्ड के मेम्बर विभिन्न संवैधानिक अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करते हैं तो धारा 43 उसको बोर्ड का मेम्बर रहने के लिए अयोग्य घोषित करेगा ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी सहकारिता आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं ।... (व्यवधान) सहकारिता आंदोलन में बहुत सारे आरोप लगते थे कि जो लोग सहकारिता समिति चला रहे हैं, वे लोग अपने ही

चाचा, मामा, चाचा का बेटा, भाई, साला, साली को नौकरी देते हैं।… (व्यवधान) अब हमने तय किया है कि कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया में किसी भी ब्लड रिलेशन और डिसटेन्ट रिलेटिव को नौकरी नहीं दी जा पाएगी। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, हमने समपरीक्षण, सदाचार और यौन उत्पीड़न के बारे में एक कमेटी बनाने का भी प्रावधान किया है।… (व्यवधान) हमने सूचना के अधिकार को भी इसके अंदर शामिल किया है, जिससे सूचना के अधिकार की पूर्ति हो सके।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, हमने धारा 70(2) (3ए) में CRCS के रेगुलर पैनल से ही ऑडिटर और कनकरेंट ऑडिटर को रखने का प्रावधान किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमने पूंजी बढ़ाने के लिए भी कई सारे उपाय किए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि यह बिल इस सदन के पारित करने के साथ ही देश के सहकारिता आंदोलन में एक नये युग की शुरुआत होगी और बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाले दिनों में होगा। … (व्यवधान)

मैं समझ सकता हूं कि अभी जो नारे लगा रहे हैं, उनका न सहकार में इंट्रेस्ट है, न सहकारिता में इंट्रेस्ट है, न दलितों में इंट्रेस्ट है, न महिलाओं के कल्याण में इंट्रेस्ट है।… (व्यवधान) उनके नारे लगाना बहुत स्वाभाविक है।… (व्यवधान) मगर, मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैंने आज दोनों सदनों के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं।… (व्यवधान) सरकार को कोई डर नहीं है। … (व्यवधान) जिसको मणिपुर पर चर्चा करनी है, वह चर्चा कर ले।… (व्यवधान) हमें कुछ छिपाना नहीं है। … (व्यवधान) दोनों विपक्ष के नेताओं को मैंने आज पत्र लिखा है। … (व्यवधान) मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है।… (व्यवधान) चुनावों में जाना है।… (व्यवधान) जनता के खौफ को ध्यान में रखिए और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए। … (व्यवधान) ऐसी मेरी विनती है। आपका धन्यवाद। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

… (व्यवधान)

Clause 2 Amendment of Section 3

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 10 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्रो. सौगत राय जी और श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, दोनों अपने संशोधनों को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं सारे खंडों को एक साथ ही सभा के निर्णय के लिए रख रहा हूं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 49 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 2 से 49 विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

<u>खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं फिर आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। सहकारिता जैसे क्षेत्र पर आप चर्चा करें। मैं आपको मौका दे रहा हूं। आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर जाएं। आप सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते, सदन में गरिमा नहीं रखना चाहते, यह उचित नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री अमित शाह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 26 जुलाई 2023 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

17.49 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, July 26, 2023/Sravana 4, 1945 (Saka).

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business
in Lok Sabha (Sixteenth Edition)